“ न्याय सबके लिये ”

न्याय सब के लिए

ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

केन्द्र एवं म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

प्रधानमंत्री जन-धन योजना
मेरा खाता भाग्य विधाता

बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
स्वच्छ ईंधन.. बेहतर जीवन !

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
आयुष्मान भारत
PM-JAY

Pradhan Mantri Awaas Yojana-Gramin
प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण

जननी सुरक्षा योजना

574, साऊथ सिविल लाईस, जबलपुर - 482001 (म.प्र.)
फोन : 0761-2678352, 2624131, फैक्स: 2678537
ईमेल: mplsajab@nic.in, वेबसाईट: mpslsa.gov.in

Designed & Printed by: GAPP, JBP, gagrc@hotmail.com, ISO-9001:2015, Mo. 09425151241

म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जबलपुर

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

1. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना
2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना
3. पी.एम.केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन
4. स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर योजना
5. पश्चात्वर्ती देखरेख आफ्टर केयर योजना
6. आयुष्मान भारत योजना
7. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना
8. प्रधानमंत्री जन धन योजना
9. प्रधानमंत्री आवास योजना
10. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)
11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम
12. स्वजलधारा योजना
13. दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना
14. पी.एम. स्वनिधि योजना
15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
16. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
17. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
18. अटल पेंशन योजना
19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)
20. बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम
21. निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना
22. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)
23. स्वाधार गृह योजना
24. वन स्टॉप सेंटर योजना (One Stop Centre Scheme)
25. जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme)
26. समेकित बाल विकास योजना (ICDS)
27. पोषण अभियान कार्यक्रम
28. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
29. स्वच्छता उद्यमी योजना
30. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
31. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers)
32. प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि (Bonded Labour Rehabilitation Fund)

म.प्र. शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

❖ **महिला एवं बाल विकास**

1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना
2. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना
3. समेकित बाल संरक्षण योजना
4. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना
5. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना
6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
7. समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)
8. म.प्र. बाल प्रयोजन निजी (प्रायवेट स्पॉन्सरशिप) योजना
9. मंगल दिवस
10. स्वाधार गृह योजना (अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान)
11. लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0

❖ **सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग**

12. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
13. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
14. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
15. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
16. छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
17. निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता
18. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना
19. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना
20. मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
21. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
22. मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना
23. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना
24. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
25. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

❖ **आयुष विभाग**

26. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

म.प्र. शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

❖ **उच्च शिक्षा विभाग**

27. प्रतिभा किरण
28. विक्रमादित्य योजना
29. गाँव की बेटी

❖ **पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग**

30. पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना–2003

❖ **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग**

31. राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 1 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना
32. विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना
33. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना
34. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना
35. जननी एक्सप्रेस योजना
36. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम
37. जननी सहयोगी योजना
38. जननी सुरक्षा योजना
39. मध्यप्रदेश कोविड उपचार योजना

❖ **स्कूल शिक्षा विभाग**

40. अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं के लिये
41. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना (कक्षा 12वीं उत्तीर्ण) (केवल शास. विद्या. के लिये)
42. नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप
43. पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12 तक (केवल शास. विद्या. के लिये)
44. बालिका 'शिक्षा प्रोत्साहन योजना' (NSIGSE)
45. इंस्पायर अवॉर्ड
46. इकलौती बेटी छात्रवृत्ति
47. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

❖ **श्रम विभाग**

48. विवाह सहायता योजना
49. प्रसूति सहायता योजना, 2004
50. मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना

म.प्र. शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

51. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन
52. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना,
53. श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012
54. निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना

❖ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ

55. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)
56. अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण
57. इन्दिरा आवास योजना
58. कामधेनू
59. क्रीडांगन
60. पंच परमेश्वर योजना
61. ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना
62. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना
63. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
64. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

❖ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएँ

65. विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना
66. रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना
67. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति
68. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना
69. अनुसूचित जाति / जनजाति के युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना (आई.टी. आई.)
70. अनुसूचित जाति / जनजाति के युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति
71. अनुसूचित जाति / जनजाति के युवक / युवतियों को 6 माही कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना
72. आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदाय
73. उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना
74. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में प्रवेश
75. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश Modular Employable Skills योजना (आई.टी.आई.)
76. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति
77. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना
78. ग्रामीण इंजीनियर योजना (आई.टी.आई.)

म.प्र. शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

79. रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (आई.टी.आई.)
80. मैरिट योग्यता छात्रवृत्ति

❖ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएँ

81. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना
82. डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना
83. दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास सुविधा

❖ जनजातीय कार्य विभाग की विभागीय योजनाएँ

84. छात्रवृत्ति योजना
85. आवास सहायता योजना
86. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11वीं)
87. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु साईकिल प्रदाय योजना

विविध योजनाएँ

88. निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना
89. मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना
90. गृह ज्योति योजना
91. मध्यप्रदेश समाधान योजना
92. मेघदूत योजना
93. मंदबुद्धि / बहुविकलांग को आर्थिक सहायता

———***———

केन्द्र सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएं

योजनाएँ

1. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

➢ योजना से संबंधित जानकारी :–

आयुष्मान भारत के तहत दूसरा घटक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, जिसे लोग **(पी.एम.–जय)** के नाम से जानते हैं। यह योजना **23 सितंबर, 2018** को शुरू की गई थी।

आयुष्मान भारत पी.एम.–जय दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, जिसका उद्देश्य **प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक** का मुफ्त इलाज माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब और वंचित परिवारों (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थियों को) मुहैया कराना जो भारतीय आबादी का 40 प्रतिशत हिस्सा हैं। यह संख्या और शामिल किए गए परिवार ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सामाजिक–आर्थिक जाति जनगणना 2011 के अभाव और व्यावसायिक मापदण्डों पर आधारित हैं।

इस योजना को पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के नाम से जाना जाता था। पूर्ववर्ती राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना, जिसका प्रमोचन 2008 में हुआ था, का विलय पी.एम.–जय में किया गया, इसलिए पी.एम. जय के तहत, उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में उल्लेखित थे, लेकिन एस.ई.सी.सी. 2011 के डेटाबेस में मौजूद नहीं है। पी.एम.–जय पूरी तरह से एक सरकार द्वारा वित्त–पोषित योजना है जिसकी कार्यान्वयन की लागत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटी गई है।

➢ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य विशेषताएँ :–

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त–पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा / आश्वासन योजना है।
- यह योजना भारत में सार्वजनिक व निजी सूचीबद्ध अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य उपचार के लिए **प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रूपये तक** की धन राशि लाभार्थियों को मुहैया कराती है।
- 10.74 करोड़ से भी अधिक गरीब व वंचित परिवार (या लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- पी.एम.–जय सेवा संस्थान अर्थात् अस्पतालों में लाभार्थी को स्वास्थ्य सेवायें निःशुल्क प्रदान करती है।
- पी.एम.–जय चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चें को कम करने में मदद करती है, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 06 करोड़ भारतीयों को गरीबी की रेखा से नीचे पहुँचा देता है।
- इस योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिन पहले और 15 दिन बाद तक का नैदानिक उपचार, स्वास्थ्य इलाज व दवाइयाँ मुफ्त उपलब्ध होती है।

- इस योजना के तहत परिवार के आकार, आयु या लिंग पर कोई सीमा नहीं है।
- इस योजना के तहत पहले से मौजूद विभिन्न चिकित्सीय परिस्थितियों और गंभीर बीमारियों को पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।
- पी.एम.जय एक पोर्टेबल योजना हैं, लाभार्थी इसका लाभ पूरे देश में किसी भी सार्वजनिक या निजी सूचीबद्ध अस्पताल में उठा सकते हैं।
- इस योजना में लगभग 1,393 प्रक्रियाएँ और पैकिज शामिल हैं जैसे कि दवाइयाँ, आपूर्ति, नैदानिक सेवाएँ, चिकित्सकों की फीस, कमरे का शुल्क, ओ.टी. और आई.सी.यू. शुल्क इत्यादि, जो मुफ्त उपलब्ध हैं।
- स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निजी अस्पतालों की प्रतिपूर्ति सार्वजनिक अस्पतालों के बराबर की जाती है।

➢ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभः–

भारत में कई सरकारी वित्त–पोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ हैं, जिनके अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार 30,000/– रूपये से लेकर 3,00,000/– रूपये तक की धन राशि मुहैया कराई जाती थी जो असमानता उत्पन्न करती थीं।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना समस्त लाभार्थियों को सूचीबद्ध माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000/– रूपये मुहैया कराती है।
इस योजना के तहत निम्नलिखित उपचार निःशुल्क उपलब्ध है :–

- चिकित्सीय परीक्षा, उपचार और परामर्श
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व खर्चा
- दवाइयाँ और चिकित्सा उपभोग्य
- गैर–गहन और गहन स्वास्थ्य सेवाएँ
- नैदानिक और प्रयोगशाला जाँच
- अस्पताल में रहने का खर्चा
- अस्पताल में खाने का खर्चा
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएँ
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल

इस योजना में 5,00,000/– रूपये का लाभ पूरे परिवार को मिलता है, इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। योजना के तहत पाँच सदस्यों की पारिवारिक सीमा थी। इस योजना की संरचना इस प्रकार से की गई है कि परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा नहीं रखी गई है। इसके अलावा पहले से मौजूद विभिन्न बीमारियों को इस योजना में पहले दिन से ही शामिल किया जाता है।

इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में नामांकित होने से पहले किसी भी किस्म की बीमारी या स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित व्यक्ति उन सभी चिकित्सीय परिस्थितियों के लिए और साथ ही पी.एम.जय योजना के तहत सारे उपचार, प्राप्त करने के लिए लाभार्थी हैं।

2. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना

➢ योजना से संबंधित जानकारी :–

असंगठित क्षेत्र के कामगारों को कई आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के माध्यम से उन सभी असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पेंशन प्रदान की जाएगी जिनकी मासिक आय रूपये 15,000/– या फिर इससे कम है।

पी.एम.–श्रम योगी मानधन योजना का लाभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक जैसे कि ड्राइवर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले, भट्टा कर्मकार आदि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप भी इस योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं तो आप को इस योजना के अंतर्गत आवेदन करना होगा।

इस योजना के तहत लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात् 3,000/– रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी।

➢ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य :–

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को 60 साल की आयु के बाद 3,000/– रूपये की पेंशन धनराशि देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है तथा इस योजना के जरिये मिलने वाली धनराशि के द्वारा लाभार्थी बुढ़ापे में अपना जीवनयापन कर सके तथा अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके।

इस योजना के द्वारा श्रमयोगियों को आत्मनिर्भर तथा सशक्त बनाना है। भारत सरकार सभी गरीबों तथा मजदूर श्रमिकों को अपनी सरकारी योजनाओं के जरिये लाभ पहुँचाना तथा आर्थिक रूप से मदद करना चाहती है।

➢ लाभार्थी की मृत्यु पर या अपंगता होने पर परिवार को मिलने वाला लाभ :–

यदि किसी लाभार्थी की मृत्यु पेंशन की प्राप्ति की अवधि में हो जाती है तो उस स्थिति में लाभार्थी के पति या पत्नी को पेंशन का 50 प्रतिशत हिस्सा प्रदान किया जाएगा। यह पेंशन केवल लाभार्थी के पति या पत्नी को ही प्रदान की जाएगी। इसके अलावा यदि लाभार्थी द्वारा नियमित अंशदान किया गया है और 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही किसी कारणवश लाभार्थी स्थायी रूप से अक्षम हो गया है और इस योजना के अंतर्गत अपना योगदान जारी रखने में असमर्थ है तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित रूप से भुगतान करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

सभी श्रमिक जिनकी आमदनी रूपये 15,000/– से कम है और उनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष है वह इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करवा सकते हैं। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को प्रतिमाह निवेश करना होगा। निवेश की राशि उम्र के हिसाब से निर्धारित की जाएगी। यह

राशि रूपये 55/– से लेकर रूपये 200/– तक है।

- प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से संचालित किया जा रहा है। पेंशन का भुगतान भी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक **सी.एस.सी. केंद्र** पर ले जानी होगी। खाता खुलने के बाद लाभार्थी को श्रमिक कार्ड प्रदान किया जाएगा। यदि आप इस योजना से संबंधित अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।

हेल्पलाईन नंबर 18002676888

➢ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में शामिल कैसे हो ?

योजना में शामिल होने के लिए लाभार्थियों का आधार कार्ड और बैंक खाता होना तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत आवेदन करने के बाद आवेदक को मासिकवार प्रीमियम देना होगा। 18 साल की आयु के श्रमयोगियों को प्रतिमाह 55/– रूपये की धनराशि का प्रीमियम जमा करना होगा तथा 29 साल की आयु वालों को प्रतिमाह 100/– रूपये का प्रीमियम और 40 साल की आयु वालों को 200/– रूपये का प्रीमियम प्रतिमाह जमा करना होगा।

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र अथवा डिजिटल सेवा केंद्र में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक खाता पासबुक, आधार कार्ड साथ लेकर जायें।

➢ प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की निकासी पर प्रदान किए जाने वाले लाभ :–

- यदि लाभार्थी योजना की तारीख से 10 वर्ष से कम अवधि के भीतर इस योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा।
- यदि लाभार्थी योजना की 10 वर्ष की अवधि पूर्ण करने के पश्चात् लेकिन 60 वर्ष की आयु से पहले योजना से निकासी करता है तो इस स्थिति में उसे योगदान का हिस्सा उस पर संचित ब्याज के साथ ही वापस किया जाएगा।
- लाभार्थी द्वारा यदि नियमित रूप से योगदान किया गया है और किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाए तो इस स्थिति में उसके पति या पत्नी नियमित योगदान का भुगतान करके इस योजना को जारी रख सकते हैं।
- ग्राहक और उसके पति और पत्नी की मृत्यु के पश्चात् कोष को वापस जमा किया जाएगा।

➢ **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभ** :–

- इस योजना का लाभ देश के असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों जैसे ड्राइवर, रिक्शा चालक मोची, दर्जी, मजदूर, घरों में काम करने वाले नौकर, ईंट भट्टा कर्मकार आदि को प्रदान किया जायेगा।
- इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 60 साल की आयु के पश्चात् 3,000/– रूपये की पेंशन धनराशि हर महीने दी जाएगी।
- पी.एम.–श्रम योगी मानधन योजना में आप जितना योगदान करते हैं, सरकार भी आपके अकाउंट में उतना ही योगदान करती है।
- इस योजना के तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 3,000/– रूपये की धनराशि सीधे लाभार्थियों के बचत बैंक खाता या जनधन अकाउंट से ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से ट्रांसफर किये जाएँगे।

➢ **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लाभ कौन नहीं उठा सकता** :–

- संगठित क्षेत्र के काम करने वाले व्यक्ति
- कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य
- राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य
- राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य
- आयकर का भुगतान करने वाले लोग

➢ **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभार्थी** :–

- छोटे और सीमांत किसान
- भूमिहीन खेतिहर मजदूर
- मछुआरे
- पशुपालक
- ईंट भट्टा और पत्थर खदानों में लेबलिंग और पैकिंग करने वाले
- निर्माण और आधारभूत संरचनाओं में कार्य करने वाले
- चमड़े के कारीगर, बुनकर, सफाई कर्मी, घरेलू कामगार, सब्जी तथा फल विक्रेता

➢ **प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की पात्रता** :–

- आवेदक असंगठित क्षेत्रों का कामगार श्रमिक होना चाहिए।
- आवेदक की मासिक आय 15,000/– रूपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 साल से 40 साल तक होनी चाहिए।
- आवेदक संगठित क्षेत्र के काम करने, कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य, राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य, राज्य कर्मचारी बीमा निगम के सदस्य नहीं होना चाहिए।
- सबसे बड़ी शर्त कि आप इनकम टैक्स पेयर्स या कर दाता नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
- आवेदक का बचत खाता/जनधन खाता आई.एफ.एस.सी कोड सहित अनिवार्य है।

3. पी.एम. केयर्स स्कीम फॉर चिल्ड्रन

➢ **योजना से संबंधित जानकारी** :–

11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक कोविड के कारण अनाथ हुये बच्चों की सहायता हेतु योजना प्रारंभ की गई है।

➢ **पात्रता** :–

ऐसे बच्चे जिनके :–

- माता पिता/दत्तक माता–पिता/वैध अभिभावक/एकल माता या पिता (जिनमें से किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है) की **मृत्यु 11 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2021 तक हो।**
- माता तथा पिता की मृत्यु दिनांक (जिनकी भी मृत्यु बाद में होती है) को **बच्चों की आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो।**

➢ **सहायता** :–

- हितग्राही के पोस्ट ऑफिस में खोले गए खाते में आयु अनुरूप राशि जमा।
- हितग्राही की आयु 18 वर्ष होने के उपरांत बच्चे के नाम से कॉर्पस खाते में 10 लाख रूपये का प्रावधान।
- इसी कॉर्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान।
- बच्चें के 23 वर्ष का होने पर बच्चे को 10 लाख रूपये की राशि प्रदाय।
- हितग्राही को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर।

- शिक्षा सहायता तथा छात्रवृत्ति के प्रावधानों के तहत लाभ।

4. स्पॉन्सरशिप व फोस्टर केयर योजना

➢ **पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर)** :–

देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालक तथा अनाथ, बेसहारा, जेल में निरूद्ध माता–पिता के बच्चे, असाध्य बीमारी ग्रस्त बच्चे आदि जिनका किसी कारण से पारिवारिक पुनर्वास नहीं हो पाता है उनको अस्थायी रूप से किसी असंबद्ध परिवार में पुनर्वासित किये जाने हेतु पालन–पोषण देखभाल (फोस्टर केयर) में दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत बच्चे को प्रतिमाह 2,000/– रूपये राशि दिए जाने का प्रावधान है।

➢ **स्पॉन्सरशिप योजना** :–

समुदायों में अभाव के या शोषण वाली परिस्थितियों एवं विषम आर्थिक परिस्थितियों, बाल देख–रेख संस्थाओं में निवासरत बच्चों को उनके परिवार में रखने के लिए सक्षम बनाकर बच्चों को आर्थिक सहायता राशि 2,000/– रूपये प्रति बच्चा प्रति माह उपलब्ध कराये जाने हेतु तैयार म.प्र. बाल प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) दिशा–निर्देश 2020 के अंतर्गत सहायता।

2. पश्चात्वर्ती देखरेख (आफ्टर केयर) योजना

- पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम अंतर्गत किसी बालक के 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर बाल देखरेख संस्था को छोड़ने पर बालक को समाज की मुख्य धारा में जोड़े जाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- प्रति माह 2,000/– रूपये प्रदाय।
- वर्तमान भोपाल में 5, जबलपुर में 1, ग्वालियर में 3, आफ्टर केयर होम संचालित हैं, जिसमें 122 युवक एवं युवतियाँ हैं।

3. आयुष्मान भारत योजना

➢ **उद्देश्य** :–

भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत योजना के तहत माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रूपये का वार्षिक स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 10 करोड़ गरीब परिवारों या 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुँचाना है, जिससे कि गंभीर बीमारी का ईलाज बिना किसी कठिनाई के करा सकें।

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

➢ **पात्रता की शर्तें** :–

ग्रामीण इलाके के लिए योग्यता :–

- ग्रामीण इलाके में कच्चा मकान, परिवार में किसी वयस्क (16–59 साल) का नहीं होना, परिवार की मुखिया महिला हो, परिवार में कोई दिव्यांग हो, अनुसूचित जाति/जनजाति से हों और भूमिहीन व्यक्ति/दिहाड़ी मजदूर हो।
- इसके अलावा ग्रामीण इलाके के बेघर व्यक्ति, निराश्रित दान या भीख माँगने वाले, आदिवासी और कानूनी रूप से मुक्त बंधुआ आदि खुद आयुष्मान भारत योजना में शामिल हो जायेंगे।

शहरी इलाके के लिए योग्यता :–

- भिखारी कूड़ा बीनने वाले, घरेलू कामकाज करने वाले, रेहड़ी–पटरी दुकानदार, मोची, फेरी वाले, सड़क पर कामकाज करने वाले अन्य व्यक्ति।
- कंस्ट्रक्शन साईट पर काम करने वाले मजदूर, प्लंबर, राजमिस्त्री, मजदूर पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली और भार ढोने वाले अन्य कामकाजी व्यक्ति।
- स्वीपर सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हेंडीक्राफ्ट का काम करने वाले लोग, टेलर, ड्राईवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग आदि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होंगे।

केंद्र सरकार सभी राज्य सरकार और इलाके की अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ आयुष्मान भारत योजना के लिहाज से योग्य परिवार की जानकारी साझा करेगी, उसके बाद इन परिवारों को एक फैमिली आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, लिस्ट में शामिल लोग ही आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिन लोगों के पास 28 फरवरी 2018 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का कार्ड होगा, वे भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठा सकते हैं।

➢ **आयुष्मान योजना में भर्ती की प्रक्रिया** :–

आयुष्मान भारत योजना का लाभार्थी अस्पताल में एडमिट होने के लिए कोई चार्ज नहीं चुकाएगा, अस्पताल में दाखिल होने से लेकर इलाज तक का सारा खर्च इस योजना में कवर किया जायेगा। आयुष्मान भारत योजना के लाभ में अस्पताल में दाखिल होने से पहले और बाद के खर्च भी कवर किये जायेंगे। पैनल में शामिल हर अस्पताल में एक आयुष्मान मित्र होगा, वह मरीज की मदद करेगा और उसे अस्पताल की सुविधाएँ दिलाने में मदद करेगा। अस्पताल में एक हेल्प डेस्क भी होगा जो दस्तावेज चैक करने, स्कीम में नामांकन के लिए वेरिफिकेशन में मदद करेगा, आयुष्मान भारत योजना में शामिल व्यक्ति देश के किसी भी सरकारी/पैनल में शामिल अस्पताल में इलाज करा सकेगा।

➢ **दस्तावेज** :–

- आधार कार्ड

- निवास प्रमाण–पत्र
- बी.पी.एल. राशन कार्ड
- परिवार पहचान–पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज

➢ **देय लाभ** :–

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 5 लाख तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा।

7. प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना

➢ **उद्देश्य** :–

बेटियों के भविष्य के लिए पैसे जोड़ने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी स्कीम है। इस योजना पर न सिर्फ पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पी.पी.एफ.) की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलेगा बल्कि, यह माता–पिता की टैक्स प्लानिंग में भी मददगार होता है। आप अपनी 10 साल तक की बेटी के लिए यह खाता खुलवा सकते हैं। इस पर वर्तमान में 8.1 फीसदी सालाना का ब्याज मिल रहा है, जो पी.पी.एफ के मुकाबले अधिक है।

➢ **पात्रता की शर्ते** :–

- आप यह खाता तभी खुलवा सकते हैं जब आप लड़की के प्राकृतिक या विधिक अभिभावक हों।
- आप एक बेटी के नाम ऐसा एक ही खाता खुलवा सकते हैं।
- आप दो बेटियों के नाम यह खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर दूसरी बेटी के जन्म के समय आपको जुड़वां बेटी होती है तो आप तीसरा खाता भी खुलवा सकते हैं।

➢ **आवेदन कैसे करें** :–

- सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाने का फॉर्म,
- बच्ची का जन्म प्रमाण–पत्र जमाकर्ता (माता–पिता या अभिभावक) का पहचान पत्र जैसे पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राईविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि,
- जमाकर्ता के पते का प्रमाण–पत्र जैसे पासपोर्ट, राशन कार्ड, बिजली बिल, टेलीफोन बिल आदि। सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म आप पोस्ट ऑफिस या बैंक से प्राप्त कर सकते हैं, खाता खुल जाने पर जिस पोस्ट ऑफिस या बैंक में आपने खाता खुलवाया है, वह आपको एक पासबुक देता है।

➢ **देय लाभ** :–

पी.एफ. से अधिक ब्याज मिलेगा और 18 साल की होने के बाद इस खाते से पैसे निकाला जा सकता है।

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

8. प्रधानमंत्री जन धन योजना

➢ **उद्देश्य** :–

वंचित वर्गों जैसे कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों को विभिन्न वित्तीय सेवाएँ जैसे मूल बचत बैंक खाते की उपलब्धता, आवश्यकता आधारित ऋण की उपलब्धता, विप्रेषण सुविधा , बीमा तथा पेंशन उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

➢ **आवेदन कैसे करें** :–

यदि आधार कार्ड/आधार संख्या उपलब्ध है तो कोई अन्य दस्तावेज आवश्यक नहीं है। यदि पता बदल गया है तो वर्तमान पते का स्वप्रमाणित दस्तावेज, यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट तथा नरेगा केंद्र/राज्य सरकार के विभाग, सांविधिक/विनियामकीय प्राधिकारियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और लोक वित्तीय संस्थानों, द्वारा जारी आवेदक के फोटो वाले पहचान पत्र, उक्त व्यक्ति के विधिवत् सत्यापित फोटोग्राफ के साथ राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया गया पत्र।

➢ **देय लाभ** :–

जमा राशि पर ब्याज, एक लाख रूपये का दुर्घटना बीमा कवर, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत रूपये 30,000/– का जीवन बीमा उसकी मृत्यु उपरान्त लाभार्थी को उसकी मृत्यु पर सामान्य शर्तों की प्रतिपूर्ति पर देय होगा। प्रति परिवार, परिवार की स्त्री के लिए सिर्फ एक खाते में 5,000/– रूपये तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा उपलब्ध है।

9. प्रधानमंत्री आवास योजना

➢ **पात्रता** :–

शहरी इलाके में सभी के लिए घर मिशन के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करने के इस योजना का लाभ मध्यम परिवार व गरीब परिवार ले सकते हैं।

➢ **आवेदन कैसे करें** :–

परिवार में पति, पत्नी अविवाहित बेटे या अविवाहित बेटियां शामिल होंगी, कमाई करने वाले व्यक्ति (चाहे वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो) को एक अलग हाउसहोल्ड के रूप में माना जा सकता है।

➢ **देय लाभ** :–

केन्द्र सरकार द्वारा 2 लाख से 2.5 लाख रूपये तक की सब्सिडी दी जाती है।

10. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

योजना से संबंधित जानकारी :– ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत के माध्यम से।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

वर्गवार ग्राम को प्राप्त लक्ष्य के अनुसार यदि हितग्राही का नाम वरीयता क्रम में शामिल होता है, तो ग्राम पंचायत स्तर से हितग्राही के वर्तमान निवास एवं निर्माण स्थल का मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग फोटो अपलोड किया जाता है एवं जनपद पंचायत स्तर से हितग्राही का पंजीयन कराया जाकर राशि निम्नालिखित प्रक्रिया के माध्यम से जारी की जाती है।

हितग्राही का पंजीयन जनपद पंचायत स्तर से किया जाता है। जिला स्तर से आवास की स्वीकृति प्रदान किया जाना। जनपद पंचायत स्तर से एफटीओ की आर्डरशीट बनाई जाकर प्रथम एवं द्वितीय सिग्नेचरी के डिजिटल साईन के माध्यम से राशि खाते में हस्तांतरित की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्ते :–**

आवास हेतु सामाजिक आर्थिक एवं जाति जनगणना 2011 की आवास की पात्रता सूची में नाम दर्ज हो तथा ग्राम सभा द्वारा सत्यापित सूची की वरीयता क्रम मे नाम हो एवं हितग्राही का नाम शासन द्वारा जारी अपात्रता के 13 बिन्दु के अंतर्गत न आता हो।

11. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–** आवेदन/पंजीयन ग्राम पंचायत में किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

इच्छुक परिवार को ग्राम पंचायत में परिवार का पंजीयन कराना होगा। पंजीकृत परिवार को ग्राम पंचायत में निःशुल्क जॉबकार्ड प्रदान करेगी। जॉबकार्ड धारक द्वारा रोजगार का आवेदन करने पर 15 दिवस के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्ते :–**

ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले परिवार के जॉबकार्डधारी वयस्क सदस्य, हितग्राही मूलक कार्यों से लाभान्वित होने वाला पात्र वर्ग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या इंदिरा आवास योजना के हितार्थी।

12. स्वजलधारा योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

पूरे देश में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के नियोजन रुपांकन निर्माण तथा संचालन/संधारण के लिए स्वजलधारा 25 दिसंबर 2002 को शुरू की गई थी। यह योजना माँग आधारित और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा लागू की गई है, पंचायत उपयोगकर्ताओं द्वारा पूर्ण संचालन और रख–रखाव इस योजना की अद्वितीय विशेषता है।

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

सभी पंचायत/समुदाय योजना लागू करने संचालन करने रख–रखाव और पेयजल योजनाओं प्रबंधन के लिए ज़िम्मेदार होंगे। स्वजलधारा के अंतर्गत स्वीकृत योजनाओं समुदायों द्वारा लागत पूंजी में 10 प्रतिशत सामुदायिक आंशिक रूप से अग्रिम नगद अंशदान अनिवार्य होगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

पूरे देश मे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिये ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं के नियोजन रुपांकन निर्माण तथा संचालन संधारण के लिए यह योजना माँग आधारित और समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है।

13. दीनदयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना

➢ **पात्रता :–**

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के व्यक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए पात्र है।
- महिलाओं और अन्य कमजोर समूहों जैसे निःशक्त व्यक्तियों के लिए, ऊपरी आयु सीमा में छूट देकर इसे 45 वर्ष किया गया है।

➢ **लाभ :–**

दीन दयाल उपाध्याय–ग्रामीण कौशल्य योजना का उद्देश्य गरीब ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करना और उन्हें नियमित मासिक मजदूरी या न्यूनतम मजदूरी से ऊपर की नौकरी प्रदान करना है।

14. पी.एम. स्वनिधि योजना

➢ **पात्रता :–**

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- फेरीवाले, जिनके पास शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए वेंडिंग प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र हैं।
- फेरीवाले, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, लेकिन उन्हें वेंडिंग प्रमाण–पत्र/पहचान–पत्र जारी नहीं किया गया है।

➢ **लाभ :–**

- 10,000/– रूपये तक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना।
- नियमित चुकाने वाले को प्रोत्साहित करना।

- डिजिटल लेनदेन को प्रोत्साहित करना।

15. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

➢ **पात्रता** :–

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 12वीं कक्षा छोड़ने वाले या 10 वीं पास छात्र अपने कौशल को विकसित करने के लिए पी.एम. के.वी.वाई. में नामांकन कर सकते हैं।
- भारतीय राष्ट्रीयता वाले किसी भी उम्मीदवार जिसकी आयु 18–45 वर्ष के बीच वालों के लिए लागू होगा।

➢ **लाभ** :–

- युवाओं के लिए उपलब्ध कौशल मार्ग पर अवगत विकल्प बनाने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र सृजित करना।
- कौशल प्रशिक्षण और प्रमाणन के लिए युवाओं को सहायता प्रदान करना।
- निजी क्षेत्र की अधिक से अधिक भागीदारी के लिए स्थायी कौशल केंद्रों को प्रोत्साहित करना।

16. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

➢ **पात्रता** :–

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 18 से 50 वर्ष की आयु वर्ग का हो।
- आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो।
- बैंक खाते से ऑटो–डेबिट हेतु सहमति।
- 436/– रूपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम।

➢ **लाभ** :–

- किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रूपये।
- यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।

17. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

➢ **पात्रता** :–

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग का हो।
- आधार के साथ जनधन या बचत बैंक खाता हो।
- बैंक खाते से ऑटो–डेबिट हेतु सहमति।
- 20/– रूपये प्रति वर्ष की दर से प्रीमियम।

➢ **लाभ** :–

- दुर्घटना में मृत्यु और स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रूपये और आंशिक विकलांगता पर 1 लाख रूपये।
- यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंकों के माध्यम से उपलब्ध।

18. अटल पेंशन योजना

➢ **पात्रता** :–

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- 18–40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए।
- बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।

➢ **लाभ** :–

- अंशदाता अपनी पसंद से 1,000–5,000/– रूपये की पेंशन प्राप्त कर सकता है या वह अपनी मृत्यु के बाद पेंशन की संचित राशि भी प्राप्त कर सकता है।
- संचित राशि पति/पत्नी को दी जाएगी या यदि पति/पत्नी की भी मृत्यु हो गई है तब नामिति को दी जाएगी।
- यह योजना वित्तीय सेवा विभाग द्वारा बैंको के माध्यम से उपलब्ध।

19. सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)

➢ **पात्रता** :–

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवार पात्र हैं।
- कोई भी परिवार जिसमें 15 से 59 वर्ष की आयु के बीच का कोई सदस्य नहीं है।

- जिनके पास कोई स्थायी नौकरी नहीं है और वे केवल अनियत श्रम में संलग्न हैं।

➢ **लाभ** :–

- प्रत्येक महीने 35 कि.ग्रा. चावल या गेहूँ, जबकि गरीबी रेखा से ऊपर का परिवार मासिक आधार पर 15 कि.ग्रा. खाद्यान्न हेतु पात्र है।
- प्रवासी कामगारों को जहां भी वे काम कर रहे हैं, खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए वन नेशन–वन राशनकार्ड को लागू किया जा रहा है।

20. बुनकरों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम

➢ **पात्रता** :–

- भारतीय नागरिक होना चाहिए।
- बुनकर अपनी आय का कम से कम 50 प्रतिशत हथकरघा बुनाई से अर्जित करता हो।
- सभी बुनकर, चाहे वे पुरूष हों या महिला, स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत शामिल होने के पात्र हैं।

➢ **लाभ** :–

लाभार्थी 15,000/– रूपये के पैकेज का लाभ उठाएँगे, जिसमें पहले से मौजूद बीमारियां और नई बीमारियां दोनों शामिल हैं। चिकित्सा शर्तों के अनुसार राशि के संवितरण के संदर्भ में विभाजन इस प्रकार है– प्रसूति प्रसुविधा (पहले दो बच्चों के लिए प्रति बच्चा– 2500/– रूपये, नेत्र उपचार– 75/– रूपये, ऐनक– 250/– रूपये, आवासीय अस्पताल में भर्ती– 4000/– रूपये, आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक शुल्क– 4000/– रूपये, अस्पताल में भर्ती पूर्व एवं पश्चात् सहित– 15,000/– रूपये, शिशु कवरेज– 5000/– रूपये, बाह्य रोगी विभाग एवं प्रति बीमारी सीमा– 7500/– रूपये।)

21. निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना

भारत सरकार राष्ट्रीय न्यास द्वारा मंदबद्धि, मानसिक रूप से अविकसित, ऑटिज्म ग्रसित, सेरेब्रल पाल्सी, बहुविकलांग व्यक्तियों के लिये बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में आयु, जाति व आय का कोई बंधन नहीं है। इस योजना में ऐसे दिव्यांग व्यक्तियों को 1,00,000/– रूपये प्रतिवर्ष तक निःशुल्क इलाज की सुविधा किसी भी अस्पताल में उपलब्ध है।

22. दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.)

केंद्र सरकार (सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय) द्वारा दीनदयाल विकलांग पुनर्वास योजना (डी.डी.आर.एस.) शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आवश्यक सेवाओं की पूरी श्रेणी

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

उपलब्ध करेंगी। इस श्रेणी में प्रारंभिक हस्तक्षेप, दैनिक जीवन कौशल का विकास, शिक्षा, रोजगार–कौशल, प्रशिक्षण के लिए उन्मुख कौशल–विकास और जागरूकता पैदा करना आदि शामिल रहेंगे।

➢ **योजना के लाभ** :–

- योजना विकलांग व्यक्तियों के उत्थान और बेहतर जीवन जीने के लिए लाभ प्रदान करती है। इस योजना के अधिक लाभों को नीचे उल्लेख किया गया है।
- सभी स्तरों पर और सभी रूपों में शैक्षिक अवसरों में वृद्धि की जाएगी और व्यावसायिक और व्यावसायिक अवसरों, आय सृजन और लाभकारी व्यवसायों और रोजगार और नौकरी प्रदान करने के अवसरों का दायरा बढ़ाया जाएगा।
- योजना के माध्यम से विकलांग लोगों के लिए सक्षम वातावरण बनाने के लिए समान अवसर, निष्पक्षता, सामाजिक न्याय और सशक्तीकरण सुनिश्चित करना और विकलांग लोगों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जाएगा।
- योजना के तहत विभिन्न विशेष स्कूल विकलांगता पुनर्वास केंद्र के साथ खोले जाएँगे।

➢ **पात्रता** :–

- विकलांगता से पीड़ित सभी लोग इस योजना का हिस्सा बनने के पात्र हैं।
- इस योजना के लिए संगठन भी पात्र हैं।

➢ **आवश्यक दस्तावेज** :–

- विकलांगता प्रमाण पत्र
- पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- संगठन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- अन्य दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है

➢ **आवेदन की प्रक्रिया** :–

आवेदक को इस योजना के तहत शुरू किये गये एनजीओ, विशेष स्कूल और अन्य संस्थानों से संपर्क करना होगा।

➢ **संपर्क विवरण** :–

- विकलांग व्यक्तियों को सशक्तिकरण विभाग से संपर्क करना होगा।

- गैर सरकारी संगठन, विशेष स्कूल और अन्य संस्थानों को इस योजना के तहत शुरू किया है।

23. स्वाधार गृह योजना

➢ प्रमुख बिंदु :–

यौन उत्पीड़न की शिकार सहित कठिन परिस्थितियों में पीड़ित महिलाओं के राहत और पुनर्वास के लिये महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2002 से 'स्वाधार गृह योजना' का संचालन किया जा रहा है।

इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में 30 महिलाओं की क्षमता वाले 'स्वाधार गृह' स्थापित कर ऐसी महिलाओं के लिये आवास, भोजन, कपड़ा और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ–साथ आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है।

इसी तरह यौन उत्पीड़न के शिकार सहित कठिन परिस्थितियों में बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और पुनर्मिलन के लिये एक केंद्रीय प्रायोजित योजना एकीकृत बाल संरक्षण योजना (Integrated Child Protection Scheme&ICPS) भी वर्ष 2006 से क्रियान्वित की जा रही है।

ICPS के तहत विविध बाल संरक्षण कार्यक्रम शुरू किये गए हैं, जिनमें बाल न्याय के लिये कार्यक्रम, फुटपाथ पर रहने वाले बच्चों के लिये एकीकृत कार्यक्रम और एक ही जगह पर विस्तृत नियमों और नए कार्यक्रमों सहित देश के भीतर बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा देने के लिये गृहों (शिशु गृह) को सहायता देने जैसे कार्यक्रम शामिल हैं।

➢ उद्देश्य :–

इस स्कीम के अंतर्गत, प्रत्येक जिले में निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 30 महिलाओं की क्षमता वाले स्वाधार गृह की स्थापना की जाएगी :–

- कठिन परिस्थितियों में रहने वाली तथा बिना किसी सामाजिक और आर्थिक सहायता वाली महिताओं के आश्रय, भोजन, कपड़ा, चिकित्सा उपचार तथा देखभाल की प्राथमिक आवश्यकता को पूरा करना।
- कठिन परिस्थितियों का सामना करने के कारण प्रभावित होने वाली उनकी भावनात्मक शक्ति को दोबारा प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना।
- उन्हें कानूनी सहायता और दिशा–निर्देशन प्रदान करना ताकि वे परिवार/समाज में स्वयं को पुनर्स्थापित करने के लिए कदम उठाने में सक्षम हो सकें।
- आर्थिक तथा भावनात्मक रूप से उनका पुनर्वास करना।
- संकट में पड़ी महिलाओं की विभिन्न माँगों को समझने और पूरा करने वाली सहायता प्रणाली के रूप में कार्य करना।
- उन्हें अपना जीवन सम्मानपूर्वक तथा दृढ़ विश्वास के साथ दोबारा शुरू करने में सक्षम बनाना। बड़े शहरों और 40 लाख से अधिक की जनसंख्या वाले अन्य जिलों या उन जिलों जहां महिलाओं को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है, के लिए एक से अधिक स्वाधार गृहों की स्थापना की जा सकती है। स्वाधार गृह की क्षमता को मांग के मूल्यांकन और अन्य

महत्वपूर्ण पैरामीटरों के आधार पर 50 या 100 तक बढ़ाया जा सकता है।

➢ कार्यनीतियाँ:–

उपरोक्त बनाए गए उद्देश्यों का अनुसरण निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाते हुए किया जाएगा –

- भोजन, कपड़ा, चिकित्सा सुविधाएँ आदि के प्रावधान के साथ अस्थायी रिहायशी आवास।
- इन महिलाओं के आर्थिक पुनर्वास के लिए रोजगार तथा दक्षता उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान करना।
- परामर्श, जागरूकता सृजन तथा व्यवहार प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कानूनी सहायता एवं दिशा–निर्देशन।
- टेलीफोन के माध्यम से परामर्श देना।

➢ लाभार्थी :–

इस घटक का लाभ निम्नलिखित श्रेणियों वाली 18 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं द्वारा उठाया जा सकता है –

- महिलाएँ, जिन्हें छोड़ दिया गया है या जिन्हें सामाजिक और आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है।
- प्राकृतिक आपदा की पीड़ित महिलाएँ, जो बेघर हो गई हैं और जिन्हें कोई सामाजिक तथा आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है।
- जेल से रिहा हो कर आने वाली और पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक सहायता विहीन महिला कैदी।
- घरेलू हिंसा, पारिवारिक तनाव या विवाद की पीड़ित महिलाएँ, जिन्हें बिना कोई निर्वाह भत्ता दिए घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया है और जिन्हें शोषण से कोई विशेष सुरक्षा प्राप्त नहीं है और/या जो वैवाहिक विवाद के कारण मुकदमा का सामना कर रही है और,
- अवैध व्यापार की पीड़ित महिलाएँ/वैश्यालयों से बचाई जाने वाली या भाग जाने वाली महिलाएँ या शोषण के अन्य स्थानों से बचाई जाने वाली महिलाएँ और एच.आई.वी./एड्स पीड़ित महिलाएँ, जिन्हें कोई सामाजिक या आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं है। हालांकि इन महिलाओं/लड़कियों को सबसे पहले उज्ज्वला योजना, उन क्षेत्रों में जहां यह प्रचालन में है, के अंतर्गत सहायता की मांग करनी होगी।

सभी श्रेणी की महिलाएँ अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक ही रह सकती है। 55 वर्ष से अधिक की आयु वाली वृद्ध महिला को 60 वर्ष की आयु तक ही आवास प्रदान किया जा सकता है इसके बाद इन्हें वृद्ध आश्रमों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

स्वाधार गृह सुविधाओं का लाभ उपरोक्त श्रेणियों की महिलाओं के साथ आने वाले बच्चों द्वारा भी उठाया जा सकता है। स्वाधार गृह में 18 वर्ष तक की आयु की लड़कियों तथा 12 वर्ष तक की आयु के

लड़कों को ही अपनी माताओं के साथ रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। (12 वर्ष से अधिक की आयु वाले लड़कों को किशोर न्याय अधिनियम) समेकित बाल संरक्षण सेवा (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत संचालित बाल गृहों में स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता होगी।

24. वन स्टॉप सेंटर योजना (One Stop Centre Scheme)

➢ योजना के विषय में :–

- लोकप्रिय रूप से सखी के रूप में जानी जाने वाली इस केंद्र प्रायोजित योजना को महिला और बाल विकास मंत्रालय (MWCD) ने तैयार किया है।
- यह इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन के लिए अम्ब्रेला योजना की एक उप–योजना है।
- इस योजना के तहत, पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से निजी और सार्वजनिक दोनों जगहों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एक स्थान पर एकीकृत समर्थन और सहायता प्रदान करने के लिए वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं।

➢ लक्षित समूह :–

OSC हिंसा, जाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, यौन अभिविन्यास या वैवाहिक स्थिति से प्रभावित 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों सहित सभी महिलाओं का समर्थन करेगा।

केंद्र को निम्नलिखित सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए महिला हेल्पलाइन के साथ एकीकृत किया गया है :–

- आपातकालीन प्रतिक्रिया और बचाव सेवाएँ।
- चिकित्सा सहायता।
- प्राथमिकी FIR दर्ज करने में महिलाओं को सहायता।
- मनोवैज्ञानिक–सामाजिक समर्थन और परामर्श।
- कानूनी सहायता और परामर्श।

- शरण
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा।

➢ योजना के बारे में :–

वन स्टॉप सेंटर (सखी) अंतर्गत सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एक ही स्थान पर अस्थायी आश्रय, पुलिस–डेस्क, विधि सहायता, चिकित्सा एवं काउंसलिंग की सुविधा वन स्टॉप सेन्टर/उषा किरण केन्द्रों में उपलब्ध करायी जायेगी।

➢ उद्देश्य :–

- एक ही छत के नीचे हिंसा से पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को एकीकृत रूप से सहायता एवं सहयोग प्रदाय करना।
- पीड़ित महिला एवं बालिका को तत्काल आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सुविधायें उपलब्ध कराना, जैसे–चिकित्सा, विधिक, मनौवैज्ञानिक परामर्श आदि।

➢ लक्षित समूह :–

- हिंसा से पीड़ित महिलायें, जिसमें 18 वर्ष से कम आयु की बालिकायें भी सम्मिलित हैं, को सहायता प्रदाय करना।
- 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की सहायता हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 के अंतर्गत गठित संस्थाओं को सेन्टर से जोड़ना।

25. जेंडर चैंपियंस योजना (Gender Champions scheme)

यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

➢ उद्देश्य :–

युवा लड़के और लड़कियों को लैंगिक रूप से संवेदनशील (जेंडर सेंसिटिव) बनाकर एक ऐसे सकारात्मक सामाजिक मानदंडों का निर्माण करना, जो महिलाओं एवं लड़कियों के अधिकारों का सम्मान करते हैं।

➢ लाभार्थी :–

शैक्षिक संस्थानों में नामांकित 16 वर्ष से अधिक आयु के लड़के और लड़कियाँ, दोनों जेंडर चैंपियंस बन सकते हैं।

➢ **प्रमुख विशेषताएँ** :—

- जेंडर चैंपियंस की ऐसे जिम्मेदार नेतृत्वकर्ताओं के रूप में कल्पना की गयी है, जो अपने स्कूलों/कॉलेजों/शैक्षणिक संस्थानों के भीतर एक ऐसे सक्षम परिवेश का निर्माण करेंगे, जिसमें लड़कियों के साथ गरिमापूर्ण और सम्मानजनक व्यवहार किया जाता हो।
- यह योजना लैंगिक समानता का समर्थन करने और लैंगिक न्याय की दिशा में होने वाली प्रगति की निगरानी करने के लिए युवा लड़कियों और लड़कों की क्षमता को मजबूत बनाएगी।

26. समेकित बाल विकास योजना (ICDS)

➢ **ICDS के बारे में** :—

आईसीडीएस महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 1975 में लॉन्च किया गया था।

➢ **ICDS के तहत योजनाएँ** :—

आँगनवाड़ी सेवा योजना :—

- यह बचपन की देखभाल और विकास के लिये एक अनूठा कार्यक्रम है।
- इस योजना के लाभार्थी 0—6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चे, गर्भवती महिलाएँ और स्तनपान कराने वाली माताएँ हैं।
- यह छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान करता है जिसमें पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा रेफरल सेवाएँ शामिल हैं।
- पूरक पोषण में टेक होम राशन (Take Home Ration& THR), गर्म पका हुआ भोजन और सुबह का नाश्ता शामिल है। निर्धन परिवारों के लिये इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि यह बच्चों के पोषण संबंधी परिणाम को प्रभावित करता है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना :—

PMMVY के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को तीन किश्तों में 5,000/— रुपए दिये जाते हैं और शेष 1000/— रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत

प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000/— रुपए प्राप्त होते हैं।

राष्ट्रीय क्रेच (शिशुगृह) योजना :—

- इसके तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों (6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग) को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।
- शिशुगृह एक महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन साढ़े सात घंटे के लिये खुला रहता है।
- इसमें बच्चों को पूरक पोषण, प्रारंभिक चाइल्ड कैयर शिक्षा, स्वास्थ्य और सोने की सुविधा प्रदान की जाती है।

किशोरियों के लिये योजना :—

- इसका उद्देश्य 11—14 वर्ष आयु वर्ग में स्कूल के अतिरिक्त किशोरियों को पोषण, जीवन कौशल एवं घरेलू कौशल प्रदान कर उनकी सामाजिक स्थिति को सशक्त बनाना और सुधारना है।
- इस योजना में पोषक और गैर—पोषक तत्व शामिल हैं जो इस प्रकार हैं— लौह तथा फोलिक एसिड पूरकताय स्वास्थ्य जाँच एवं रेफरल सेवायें स्वास्थ्य, स्वच्छता, पोषण के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, स्कूल के अलावा अन्य बाह्य किशारियों को औपचारिक/अनौपचारिक शिक्षा में शामिल करना तथा विद्यमान सरकारी सेवाओं के बारे में सूचना/मार्गदर्शन प्रदान करना है।

बाल संरक्षण योजना :—

इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में बच्चों के सुधार और कल्याण हेतु योगदान देना है, साथ ही बच्चों के दुरुपयोग, उपेक्षा, शोषण, परित्याग तथा परिवार आदि से अलगाव का मार्ग प्रशस्त करने वाली कार्यवाहियों को रोकना।

पोषण अभियान :—

इसका उद्देश्य छोटे बच्चों में कुपोषण/अल्पपोषण, एनीमिया को कम करके, किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं पर ध्यान केंद्रित करके स्टंटिंग, अल्पपोषण, एनीमिया की रोकथाम के साथ जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों के स्तर में सुधार करना है।

➢ **ICDS का उद्देश्य** :—

- 0—6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना।
- बच्चे के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का प्रभावी समन्वय स्थापित करना।

- माता में उचित पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने की क्षमता बढ़ाना।
- किशोर लड़कियों (AGs) को सुविधा प्रदान करना, उन्हें शिक्षित और सशक्त बनाना ताकि वे आत्मनिर्भर एवं जागरूक नागरिक बन सकें।

27. पोषण अभियान कार्यक्रम

पोषण अभियान कार्यक्रम न होकर एक जन आंदोलन और भागीदारी है। इस कार्यक्रम की सफलता में जहां जन–जन का सहयोग आवश्यक है वहीं स्थानीय नेताओं, पंचायत प्रतिनिधियों, स्कूल प्रबंधन समितियों, सरकारी विभागों, सामाजिक संगठनों, तमाम सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की समावेशी भागीदारी भी अपेक्षित है। इस भागीदारी को निभाने का एक खूबसूरत अवसर राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में सबको प्राप्त हुआ है।

पोषण अभियान किस लिये देश में नाटेपन, अल्पपोषण, खून की कमी (एनीमिया) तथा जन्म के वक्त कम वजन वाले शिशुओं की संख्या में कमी लाने के लिये विभिन्न मंत्रालय और विभाग विगत वर्षों से सक्रिय हैं। पोषण अभियान टेक्नोलॉजी की मदद से जन–जन के बेहतर आहार और व्यवहार में सकारात्मक बदलाव लायेगा।

➢ पोषण अभियान किन के लिये है :–

- गर्भवती महिलाएँ
- धात्री महिलाएँ तथा नवजात शिशु
- किशोरियां
- बच्चे

➢ पंचायत प्रतिनिधि की भूमिका :–

पंचायत प्रतिनिधि, एक जनप्रतिनिधि के नाते, निम्न लाभार्थियों को सही पोषण और सकारात्मक व्यवहारों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करें।

➢ गर्भवती महिलाएँ :–

- रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह–तरह के पोषक आहार लें।
- पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खायें।
- आई.एफ.ए. की एक लाल गोली रोजाना, चौथे महीने से 180 दिन तक लें।

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

- कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें।
- एक एल्बेण्डाजोल की गोली दूसरी तिमाही में लें।
- ऊंचे स्थान पर ढक कर रखा हुआ शुद्ध पानी ही पीयें।
- प्रसव से पहले कम से कम चार ए.एन.सी. जांच ए.एन.एम. दीदी या डॉक्टर से जरूर करवायें।
- नजदीकी अस्पताल या चिकित्सा केन्द्र पर ही अपना प्रसव करायें।
- व्यक्तिगत साफ–सफाई और स्वच्छता का ध्यान रखें।
- खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोयें।
- शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोयें।
- हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें।

➢ धात्री महिलाएँ :–

- रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह–तरह के पोषक आहार लें।
- पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खायें।
- प्रसव से लेकर 6 महीने तक (180 दिन) रोजाना आई.एफ.ए. की एक लाल गोली लें।
- कैल्शियम की निर्धारित खुराक लें।
- ऊंचे स्थान पर ढक कर रखा हुआ शुद्ध पानी ही पीयें।
- नवजात शिशु को जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान शुरू करायें तथा शिशु को अपना पहला पीला गाढ़ा दूध पिलायें। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे का पहला टीका होता है।
- शिशु को शुरुआती 6 महीने सिर्फ अपना दूध ही पिलायें और ऊपर से कुछ न दें।
- व्यक्तिगत और अपने बच्चे की स्वच्छता का ध्यान रखें।
- खाना बनाने तथा खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोयें।
- बच्चे का शौच कराने के बाद और अपने शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोयें।
- बच्चे का शौच कराने और अपने शौच के लिए हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें।

➢ बच्चे :–

- छह महीने पूरे होने पर माँ के दूध के साथ ऊपरी आहार शुरू करें।
- रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह–तरह के पोषक आहार दें।
- मसला हुआ और गाढ़ा पौष्टिक ऊपरी आहार दें।

- पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खायें।
- आई.एफ.ए. और विटामिन–ए की निर्धारित खुराक दिलवायें।
- पेट के कीड़ों से बचने के लिये 12 से 24 महीने के बच्चे को एल्बेण्डाजोल की आधी गोली तथा 24 से 59 महीने के बच्चे को एक गोली साल में दो बार आंगनवाड़ी केन्द्र पर दिलवायें।
- आंगनवाड़ी केन्द्र पर नियमित रूप से लेकर जायें तथा उसका वजन अवश्य करवायें।
- बौद्धिक विकास के लिये पौष्टिक आहार उसकी उम्र के अनुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा, ए.एन.एम. या डॉक्टर द्वारा बतायी गयी मात्रा के अनुसार दें।
- 5 साल की उम्र तक सूची अनुसार सभी टीके नियमित रूप से जरूर लगवायें।
- व्यक्तिगत साफ–सफाई और स्वच्छता की आदत डलवायें।
- ऊंचे स्थान पर ढक कर रखा हुआ शुद्ध पानी ही पिलायें।
- खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोयें।
- शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोयें।
- उम्र अनुसार बच्चे के साथ खेलें एवं बातचीत करें।
- बच्चे के शौच का निपटान हमेशा शौचालय में करें।

➢ किशोरियां :–

- किशोरियों को रोजाना आयरन और विटामिन युक्त तरह–तरह के पौष्टिक आहार जरूर खिलायें, जिससे माहवारी के दौरान रक्त स्राव से होने वाली आयरन की कमी पूरी कर उसका संपूर्ण विकास हो।
- पौष्टिकीकृत दूध और तेल तथा आयोडीन युक्त नमक खायें।
- आई.एफ.ए. की एक नीली गोली हफ्ते में एक बार लें।
- व्यक्तिगत साफ–सफाई और माहवारी स्वच्छता का ध्यान रखें।
- पेट के कीड़ों से बचने के लिये एल्बेण्डाजोल की एक गोली साल में दो बार लें।
- ऊंचे स्थान पर ढक कर रखा हुआ शुद्ध पानी ही पीयें।
- खाना खाने से पहले साबुन से हाथ जरूर धोयें।
- शौच के बाद साबुन से हाथ अवश्य धोयें।
- हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करें।

➢ इस दिशा में जिम्मेदारी :–

पंचायत प्रतिनिधि :–

- गांव स्तर पर लोगों को सही पोषण के बारे में जागरूक करें।
- सुनिश्चित करें कि गांव की हर लड़की का विवाह 18 वर्ष की आयु से कम में न हो।
- सुनिश्चित करें कि गांव की हर गर्भवती महिला का प्रसव अस्पताल या चिकित्सा केन्द्र पर हो।
- सुनिश्चित करें कि गांव का कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न करे तथा गांव का प्रत्येक व्यक्ति शौच के लिये शौचालय का इस्तेमाल करे।
- गांव के लोगों को घरों में पेड़ और साग–सब्जियां लगाने के लिये प्रोत्साहित करें ताकि परिवार को हरी साग–सब्जियाँ मिल सकें।
- सुरक्षित पेयजल और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करें।
- ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण समिति की बैठक का नियमित आयोजन करें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता :–

- देखभालकर्ता को समुचित पोषण संबंधी परामर्श नियमित रूप से देती रहें।
- बच्चों का नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें।
- बच्चों के शारीरिक और बौद्धिक विकास की निगरानी करें।
- गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की निगरानी हेतु नियमित गृह भ्रमण करें।
- बच्चों का नियमित रूप से वजन करें तथा एम.सी.पी. कार्ड में दर्ज करें। लाल घेरे में होते ही निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र पर रेफर करें।

आशा कार्यकर्ता :–

- गर्भवती महिला को संस्थान में प्रसव कराने के लिये प्रोत्साहित करें तथा ए.एन.सी. जांच सुनिश्चित करें।
- नवजात शिशु की देखभाल और धात्री महिला की निगरानी हेतु 8–9 बार गृह भ्रमण करें।
- अतिकुपोषित बच्चों और कम वजन के बच्चों की निगरानी हेतु हर महीने गृह भ्रमण करें।
- बच्चों का नियमित और पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करें।

स्कूल प्रबंधन समिति :–

- किशोर–किशोरियों को एनीमिया से बचाव के प्रति सचेत करें।
- बच्चों को साफ–सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक और जवाबदेह बनायें।

सामुदायिक रेडियो स्टेशन :–

- पोषण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार कर उसे प्रसारित करें।
- साफ–सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरुकता फैलायें।
- कृषि से उपलब्ध स्थानीय पोषक आहारों के बारे में जागरुकता फैलायें।
- खाना बनाने की स्थानीय विधि, भोजन की कैलोरी में वृद्धि तथा पौष्टिक आहार पर कार्यक्रम आयोजित करें।

28. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ

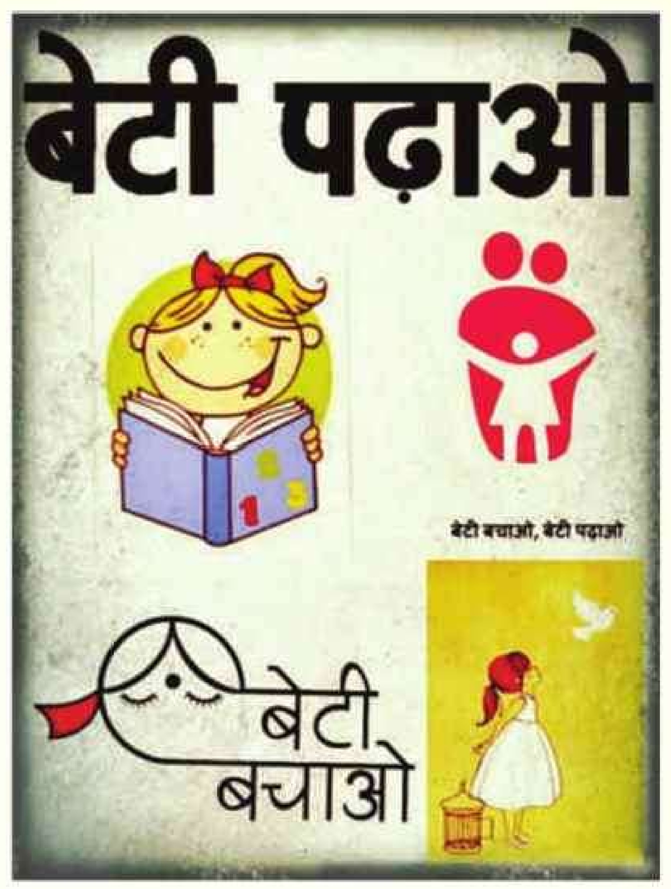

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरूआत प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को पानीपत, हरियाणा में की थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से पूरे जीवन–काल में शिशु लिंग अनुपात में कमी को रोकने में मदद मिलती है और महिलाओं के सशक्तीकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान होता है। यह योजना तीन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही है अर्थात महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय।

इस योजना के मुख्य घटकों में शामिल हैं प्रथम चरण में PC तथा PNDT Act को लागू करना, राष्ट्रव्यापी जागरूकता और प्रचार अभियान चलाना तथा चुने गए 100 जिलों (जहां शिशु लिंग अनुपात कम है) में विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्य करना। बुनियादी स्तर पर लोगों को प्रशिक्षण देकर, संवेदनशील और जागरूक बनाकर तथा सामुदायिक एकजुटता के माध्यम से उनकी सोच को बदलने पर जोर दिया जा रहा है।

➢ **समग्र लक्ष्य :–**

बालिका का गुणगान करें और उसे शिक्षा ग्रहण के लिए सक्षम बनाएँ।

➢ **उद्देश्य :–**

- पक्षपाती लिंग चुनाव की प्रक्रिया का उन्मूलन।
- बालिकाओं का अस्तित्व और सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- बालिकाओं की शिक्षा सुनिश्चित करना।

➢ **रणनीतियाँ :–**

- बालिका और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक आंदोलन और समान मूल्य को बढ़ावा देने के लिए जागरुकता अभियान का कार्यान्वयन करना।
- इस मुद्दे को सार्वजनिक विमर्श का विषय बनाना और उसे संशोधित करते रहना सुशासन का पैमाना बनेगा।
- सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए महत्वपूर्ण स्त्रोत के रुप में स्थानीय महिला संगठनों/युवाओं की सहभागिता लेते हुए पंचायती राज्य संस्थाओं स्थानीय निकायों और जमीनी स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रेरित एवं प्रशिक्षित करते हुए सामाजिक परिवर्तन के प्रेरक की भूमिका में ढालना।
- जिला/ब्लॉक/जमीनी स्तर पर अंतर–क्षेत्रीय और अंतर–संस्थागत समायोजन को सक्षम करना।

➢ **निगरानी प्रणाली :–**

एक निगरानी प्रणाली के अंतर्गत निगरानी लक्ष्य, परिणाम और प्रक्रिया संकेतकों के आधार पर योजना की प्रगति को राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर ट्रैक किया जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, सचिव MWCD की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय टास्क फोर्स एक नियमित आधार पर तिमाही प्रगति की निगरानी करेंगी। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य टास्क फोर्स प्रगति की निगरानी करेंगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (डी.सी.) और जिला स्तर के अधिकारियों के माध्यम से सभी विभागों की कार्रवाई का समन्वय करेगा।

29. स्वच्छता उद्यमी योजना

'स्वच्छता उद्यमी योजना' भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव एवं स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन हेतु है।

योजना का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2014 को महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर किया गया।

इस योजना के दो उददेश्य जो कि स्वच्छता एवं सफाई कर्मचारियों एवं मुक्त मैनुअल स्कॅवेंजरों को जीवनयापन प्रदान करना एवं 'स्वच्छ भारत अभियान' के समग्र उद्देश्य को पूरा करना है।

➢ मुख्य विशेषताएँ :–

विषय	"स्वच्छता उद्यमी योजना"	
	भुगतान और उपयोग आधारित समुदाय शौचालयों के सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मोड में निर्माण, संचालन और रखरखाव	स्वच्छता से संबंधित वाहनों की खरीद और संचालन
उददेश्य	• परिवारों को समुदाय शौचालयों की आसान पहुंच (जिनके पास अपने घरों में किसी भी तरह की सुविधा नहीं है) और उच्च जनसंख्या के सार्वजनिक स्थान जैसे – बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, बाजारों आदि में। • सुविधाओं का उचित रखरखाव सुनिश्चित करने के लिए जिन्हें उद्यमियों द्वारा बनाया गया हो एवं इस उद्यम में जिनकी हिस्सेदारी हो। • जिससे मैला धोने की आवश्यकता नहीं रहेगी।	• कम उपयोग की गई क्षमता के दोहन हेतु उपयुक्त आधारभूत ढांचे का निर्माण। • सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन। • सफाई कर्मचारियों/मैनुअल स्केवेंजरों के लिए रोजगार अवसरों का सृजन।
पात्रता	• प्रतिष्ठित संगठनों के सहयोग से राज्य माध्यम अभिकरणों (एससीएज) के माध्यम से व्यक्तिगत लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह।	• मैनुअल स्केवेंजर/सफाई कर्मचारी शहरी स्थानीय निकाय

30. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना

➢ भूमिका :–

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक बहुत ही महत्त्वाकांक्षी योजना है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत सरकार एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराती है। एलपीजी कनेक्शन केवल गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से सम्बंधित महिलाओं को दिया जाता है।

योजना के अंतर्गत भारत सरकार अगले 3 साल में 5 करोड़ बी.पी.एल. परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। जिसमें प्रत्येक वित्तीय वर्ष में लगभग 1.5 करोड़ बी.पी.एल. (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित रखा गया था।

➢ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य :–

- उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि मुफ्त में एल.पी.जी. कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। योजना के लागू करने का एक उद्देश्य यह भी है कि इससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और महिलाओं के स्वास्थ्य की भी सुरक्षा की जा सकती है।
- वर्तमान में उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करना और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है।
- जो बीमारियाँ खाना बनाने के लिए उपयोग में आने वाले अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं, उज्जवला योजना के लागू होने के बाद उनमें भी कमी आने की सम्भावना है। इस प्रकार यह योजना महिलाओं और बच्चों को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी।

➢ कैसे आवेदन करें :–

- योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एल.पी.जी. वितरण केंद्र में जमा करना होता है।
- उज्ज्वला योजना का आवेदन पत्र एल.पी.जी. वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है अथवा ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है। 2 पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन/बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है।
- आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता है कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।

➢ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन पत्र :–

उज्ज्वला योजना के लिए आवेदन करने के लिए निर्धारित आवेदन पत्र अपने नजदीकी एल.पी.जी. वितरण केंद्र से मुफ्त में प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र ऑनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है उसके बाद प्रिंट लेकर भरा जा सकता है।

आवेदन पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध हैं।

➢ योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची :–

योजना के लिए आवश्यक दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ ही जमा करानी होती है। जरूरी दस्तावेजों की सूची इस प्रकार है –

- पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बी.पी.एल. प्रमाणपत्र
- बी.पी.एल. राशन कार्ड
- एक फोटो आई.डी. जैसे कि आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- ड्राइविंग लाइसेंस
- लीज करार
- टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
- पासपोर्ट की प्रति
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व–घोषणा पत्र
- राशन कार्ड
- फ्लैट आवंटन / कब्जा पत्र
- आवास पंजीकरण दस्तावेज
- एल.आई.सी. पॉलिसी
- बैंक / क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

ऊपर दिए गए सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में सटीक जानकारी के लिए अपने नजदीकी एल.पी.जी. वितरण केंद्र से ही संपर्क करें।

➢ **उज्ज्वला योजना के लिए पात्रता** :–

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इच्छुक लोगों का योजना के लिए पात्र होना अति आवश्यक है। जो भी आवेदक पात्र नहीं पाये गए, उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाता है। पात्रता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं–

- आवेदक द्वारा दी गयी सभी जानकारी को एस.ई.सी.सी. – 2011 डेटा के साथ मिलाया जाता है तथा उसके पश्चात ही यह निर्णय लिया जाएगा की आवेदक योजना का पात्र है या नहीं।
- आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक बी.पी.एल. परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए, पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते।
- आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी एल.पी.जी. कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
- आवेदक के पास बी.पी.एल. प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. राशन कार्ड का होना आवश्यक है।

केन्द्रीय शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

- आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी ठीक होनी चाहिए। योजना के लिए पात्र बी.पी.एल. परिवारों की सूची राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों की मदद से तैयार की जाती है। तेल व्यापार कम्पनियां इस योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी ग्रामीण आवेदकों की जानकारी को एस.ई.सी.सी. – 2011 के डेटाबेस के साथ मैच कराया जाता है और उसके बाद ही गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है।

31. बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना या बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास हेतु केंद्रीय क्षेत्रक की योजना (Central Sector Scheme for Rehabilitation of Bonded Labourers)

➢ **उद्देश्य** :–

- मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को सुरक्षा प्रदान करना।
- मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को आर्थिक सहायता और सामाजिक पुनर्वास प्रदान करना।

➢ **प्रमुख विशेषताएँ** :–

इस योजना के अंतर्गत मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है –

- प्रति वयस्क पुरुष लाभार्थी 1 लाख रुपये,
- महिलाओं और बच्चों जैसे विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के लिए 2 लाख रुपये तथा
- दिव्यांगों, तस्करी एवं यौन शोषण से मुक्त कराई गई महिलाओं एवं बच्चों और ट्रांसजेंडर जैसे सर्वाधिक वंचित, हाशिए पर स्थित व्यक्तियों को (ऐसी परिस्थितियों में, जहां जिलाधिकारी इसे उपयुक्त मानते हो) 3 लाख रुपये।

32. प्रत्येक राज्य द्वारा जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि (Bonded Labour Rehabilitation Fund)

- यह योजना प्रत्येक राज्य द्वारा कम से कम 10 लाख रुपये के स्थायी कोष के साथ जिला स्तर पर बंधुआ श्रम पुनर्वास निधि (Bonded Labour Rehabilitation Fund) के निर्माण का प्रावधान करती है।
- बंधुआ मजदूरी करवाने के मुख्य आरोपियों की दोषसिद्धि पर उनसे प्राप्त किये गए सम्पूर्ण अर्थदंड को इस विशेष कोष में जमा किया जा सकता है।
- इस निधि का उपयोग बंधुआ मजदूरों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- केंद्र सरकार पुनर्वास के लिए 100 वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

- इसके अंतर्गत जिला प्रशासन को यह शक्ति दी गयी है कि स्वतंत्र और मुक्त किए गए किसी भी व्यक्ति को उसके घर या अन्य आवासीय परिसर जिसमें वह रह रहा/रही हो, बेदखल नहीं किया जाएगा।

पुनर्वास सहायता की राशि को आरोपी की दोषसिद्धि से जोड़ा गया है। हालांकि, जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर को 20,000/– रुपये तक की तत्काल सहायता प्रदान की जा सकती है, भले ही दोषसिद्धि की कार्यवाही की स्थिति कुछ भी हो।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाएँ

(As Available on mp.gov.in)

महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएँ

1. एकीकृत बाल विकास सेवा योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी**:–

इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित सुविधाओं का प्रावधान हैः–

- पूरक पोषण आहार
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

योजना का लाभ प्राप्त करने की लिए लाभार्थी का नाम आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज होना आवश्यक है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

इस योजना का लाभ उन्हीं बच्चों एवं महिलाओं को प्रदाय किया जायेगा, जिनका नाम आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज होगा।

2. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

योजनान्तर्गत बालिका का ऑनलाइन पंजीयन उपरांत 1,18,000/–का प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त बालिका को

- कक्षा 6वीं में प्रवेश पर 2,000/–
- कक्षा 9वीं में प्रवेश पर 4,000/–
- कक्षा 11वीं में प्रवेश पर 6,000/–
- कक्षा 12वीं में प्रवेश पर 6,000/– की छात्रवृत्ति दी जायेंगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–**

आवेदक आवश्यक दस्तावेजों के साथ सीधे अथवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से परियोजना कार्यालय लोकसेवा केंद्र अथवा किसी भी इंटरनेट कैफे से आवेदन/रजिस्ट्रेशन कर सकेगा। प्रकरण की स्वीकृति हेतु समस्त दस्तावेजों का परीक्षण परियोजना कार्यालय से कराया जाना होगा। तत्पश्चात प्रकरण स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जा सकेगा।

➢ **आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्ताः–**

- जन्म प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- .प्रकरण में पात्रता की शर्तों के अनुसार बालिका के माता अथवा पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र।
- माता–पिता के साथ बालिका का वर्तमान का फोटो।
- सेवा के तहत लाभ संलग्न करने वाले / सहायता पहुँचाने वाले सक्षम अधिकारी का पदनाम– खण्ड स्तरीय महिला सशक्तिकरण अधिकारी / परियोजना अधिकारी / जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी।
- कार्यालय का नाम– कार्यालय एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना
- कार्यालय जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी।
- आवेदन पत्र का शुल्क – विभागीय शुल्क देय नहीं है, यदि आवेदक लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से आवेदन करता है तो निर्धारित आवेदन शुल्क 30 / – जमा करना होता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

1 जनवरी 2006 के उपरांत मध्यप्रदेश में जन्मी बालिकाओं को लाभ दिया जायेगा। पात्रता की शर्तें निम्नानुसार हैः–

- बालिका के माता–पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- बालिका के जन्म के एक वर्ष के अंदर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

3. समेकित बाल संरक्षण योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधिः–**

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक एवं विधि विवादित बालकों के प्रकरण पर कार्यवाही हेतु प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड का प्रावधान है, एवं योजनांतर्गत गृह के संचालन हेतु जिला कलेक्टर की अनंशंसा से अनुदान प्रस्ताव मंगवाए जाकर परीक्षण उपरांत भारत सरकार से मांग की जाती है। प्रशासकीय अनुमोदन से संस्था को गृह संचालन हेतु उनके खाते में अनुदान प्रदाय किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

- 1 से 18 वर्ष तक के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बाल कल्याण समिति के आदेश से बच्चों को स्थायी एवं अस्थायी संरक्षण प्रदान किया जाता है।
- विधि विरूद्ध आये हुये बालक एवं देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बालकों को संरक्षण प्रदान करना।

4. किशोरी बालिकाओं के लिए योजना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र से 2 किशोरी बालिका, 1 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं 1 ए.एन.एम. को मास्टर ट्रेनर का 2 दिन का प्रशिक्षण 1–1 माह के अंतराल से दिया जाता है। इन मास्टर ट्रेनर के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर चयन की गई किशोरी बालिकाओं को व्यावसायिक, स्वास्थ्य प्रशिक्षण, साफ–सफाई का प्रशिक्षण दिया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

आंगनवाड़ी क्षेत्र में आने वाले समस्त पात्र बालिकाओं को योजना का लाभ दिया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

उक्त योजना में जिन बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाती हैः–

11 से 18 वर्ष तक की किशोरी बालिकाओं का चयन किया जाता है। किशोरी शक्ति योजना के अंतर्गत शालात्यागी बालिकाएँ तथा जो गरीबी रेखा या उसके नीचे आती है।

5. मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

योजना के तहत विपत्ति ग्रस्त पीड़ित, कठिन परिस्थितियों में निवास कर रही महिलाओं के आर्थिक / सामाजिक विकास हेतु स्थानीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा ताकि रोजगार प्राप्त कर सके। यह प्रशिक्षण ऐसी संस्थाओं द्वारा जारी डिग्री / प्रमाण–पत्र शासकीय / अशासकीय सेवाओं में मान्य होगा। प्रशिक्षण पर होने वाला पूर्ण व्यय जिसमें प्रशिक्षण शुल्क आवासीय व्यवस्था शुल्क शामिल रहेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–**

महिला द्वारा आवेदन जिला महिला कार्यक्रम अधिकारी के कार्यालय में डाक या स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जायेगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

हितग्राही लक्षित समूह अनुसार पीड़ित की श्रेणी में आती हो।

6. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

यह योजना मध्यप्रदेश के समस्त जिलों में जनवरी 2017 से लागू की गई है। पात्र हितग्राही – परिवार में प्रथम जीवित बच्चे के लिए गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताएँ योजना की लाभार्थी होगी।

➢ **उद्देश्य :–**

- गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व एवं पश्चात् पर्याप्त आराम मिल सके।
- गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवहारों में सुधार लाना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–**

- गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके आगनवाड़ी केंद्र में अपना पंजीयन कराये।
- बैंक या डाकघर में अपना बचत खाता खोले एवं उसे अपने आधार नम्बर से जोड़े/लिंक करे।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अथवा ए.एन.एम. द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की मांग करें।
- आगनवाड़ी केंद्र में आयोजित होने वाले मंगल दिवस (गोद भराई अन्नप्राशन एवं सुपोषण दिवस) कार्यक्रमों में नियमित भागीदारी कर पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जानकारियाँ प्राप्त कर यह सुनिश्चित करें कि आपको दी गई सेवाओं एवं सलाह को मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड एम.सी.पी. में दर्ज किया गया है या नहीं।

➢ **राशि भुगतान की प्रक्रिया–**

पात्र हितग्राही को मजदूरी हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में मातृत्व लाभ की राशि का भुगतान स्कीम के माध्यम से हितग्राही के आधार से जुड़े/लिंक बैंक या डाकघर खाते में सीधे जमा की जावेगी।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- प्रथम किश्त राशि 1,000 रूपये, हितग्राही का आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीयन करने पर।
- द्वितीय किश्त राशि 2,000 रूपये, प्रसव पूर्व एक जाँच कराने एवं गर्भावस्था के छः माह पूर्ण होने पर।
- तृतीय किश्त राशि 2,000 रूपये, बच्चे के जन्म का पंजीकृण एवं बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण पूर्ण होने पर।
- हितग्राही द्वारा लिखित सहमति उपलब्ध कराना।
- हितग्राही द्वारा स्वयं/पति/पारिवारिक सदस्य का मोबाइल नम्बर दर्ज करना होगा।

7. समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)

➢ **योजनाओं से सम्बंधित जानकारीः–**

6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती/धात्री माताओं/किशोरी बालिकाओं को आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत आगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से 6 सेवाओं जैसे शाला पूर्व शिक्षा टीकाकरण पूरक पोषण आहार सन्दर्भ सेवा स्वास्थ्य एवं पोषण आहार शिक्षा एवं स्वास्थ्य जाँच द्वारा लाभान्वित किया जाता है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

आंगनबाड़ी क्षेत्र में आने वाले समस्त पात्र हितग्राहियों का सर्वे कर पंजीयन पश्चात् लाभ प्रदाय किया जाता है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये पात्र हितग्राही को अपना नाम अपने क्षेत्र की आंगनबाड़ी केन्द्र में दर्ज कराना होगा।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

आंगनबाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाली समस्त गर्भवती/धात्री माता व 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों एवं किशोरी बालिकाओं के लिये इस योजना का प्रावधान है।

8. म.प्र. बाल प्रयोजन निजी (प्रायवेट स्पॉन्सरशिप) योजना

➢ **परिचय एवं प्रयोजन का महत्वः–**

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 45 एवं किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं सरंक्षण) नियम 2016 के नियम 24 अंतर्गत प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) योजना संकटग्रस्त बच्चों के संरक्षण के लिये पारिवारिक देखरेख एवं संरक्षण पर आधारित योजना है। प्रत्येक बच्चें के परिवार में पलने–बढ़ने का अधिकार के मूल–भूत सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है।

प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) से अभिप्रेत है– बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से उनकी चिकित्सा, पोषण, शिक्षा एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये बच्चों के परिवार/बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत बालकों को अनुपूरक सहायता या वित्तीय या अन्य माध्यमों से सहायता के प्रावधान।

➢ **प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के उद्देश्यः–**

इस योजना का उद्देश्य निम्नानुसार है :–

- बच्चों को उनके जैविक परिवार से अलग होने से रोकना।
- बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चें/मुक्त कराये गये बच्चों को उनके जैविक परिवार में भेजकर पुनर्वासित करना एवं उनका समग्र विकास करना।
- बाल देखरेख सस्था/परिवार में देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों का समग्र विकास करने हेतु सहायता प्रदान करना।
- सामाजिक रूप से सक्षम परिवारों को आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बाल देखरेख संस्था में रहने वाले बच्चों के विकास में सहयोग हेतु जोड़ना।
- अपने माता–पिता या दोनों में से किसी एक को खोने वाले या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित परिजनों के बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

➢ **बालक / परिवार के चयन के मापदण्डः–**

1. प्रायोजन (स्पॉन्सरशिप) के मूल मापदण्ड :–

- 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बालक / बालिका।
- उल्लेखित प्रावधानों में परिवार गरीबी रेखा के नीचे निवासरत होना चाहिये।
- जिन प्रावधानों में बी.पी.एल. परिवार होने के अनिवार्यता नहीं वहाँ प्रायोजन एवं पालन पोषण देखरेख अनुमोदन समिति परिवार की आवश्यकताओं एवं बालक के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए कारणों का उल्लेख करते हुए चयन करेगी।

2. योजना के तहत् प्राथमिकता का क्रमः–

- ऐसे बच्चें जिनके माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी है तथा रिश्तेदार का परिवार भी गरीबी रेखा के नीचे का परिवार है।
- समस्त श्रेणियों में गरीबी रेखा के नीचे निवासरत परिवार को प्राथमिकता।
- ऐसे बच्चें जिनके माता–पिता या बालक असहाय है या गंभीर बीमारी से पीड़ित है जिसमें एच. आई.वी. एड्स भी शामिल है।

➢ **वित्तीय मापदण्डः–**

- योजना के तहत माता–पिता / एकल माता / एकल पिता / परिवार को वित्तीय सहायता के रूप में 2000 / – रूपये प्रतिमाह कम से कम एक वर्ष के लिये प्रदान की जावेगी।

➢ **निजी प्रायोजन हेतु प्रक्रियाः–**

निजी सहायता प्राप्त प्रायोजन अंतर्गत इच्छुक प्रायोजक व्यक्ति / संस्था / कंपनी / बैंक / आद्यौगिक इकाई आदि निम्नानुसार प्रायोजन सहायता प्रदान कर सकते है।

- **व्यक्तिगत सहायता :–**

  संस्था अथवा एक परिवार के एक या दो बच्चों को राशि / सेवाओं / सेवाओं के भुगतान के रूप में की गयी सहायता।

- **सामूहिक प्रायोजन :–**

  संस्था में निवासरत अथवा एक से अधिक परिवार के बच्चों (अधिकतम 8 बच्चों तक) राशि / सेवाओं / सेवाओं के भुगतान के रूप में की गयी सहायता।

- **बाल देखरेख संस्थाओं को प्रायोजकता :–**

  इसके अंतर्गत संपूर्ण बाल देखरेख संस्था की शासन नियमानुसार आधारभूत संरचनाओं के निर्माण, संधारण सुविधाओं का विस्तार जैसे की खेलकूद सामग्री, स्टेशनरी, पुस्तकालय

विकसित हेतु किताबें, वाटर कूलर इत्यादि एवं संस्था में निवासरत बच्चों हेतु शासकीय प्रावधानों के अतिरिक्त राशि / सेवाओं / सेवाओं के भुगतान के रूप में की गयी सहायता।

9. मंगल दिवस

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

आंगनबाड़ी में दर्ज गर्भवती महिलाओं की गोदभराई, 6 माह के बच्चे का आंगनबाड़ी केन्द्र पर अन्नप्राशन, माह विशेष में आने वाले बच्चों का सामूहिक जन्म दिवस एवं 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के लिए आयोजित कर मंगल दिवस मनाने हेतु मध्य प्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा विशेष योजना बनाई गई है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधिः–**

आंगनबाड़ी क्षेत्र में आने वाले समस्त पात्र हितग्राहियों को लाभ प्रदान किया जाता है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

प्रत्येक मंगलवार को दिवस अनुसार पात्र हितग्राही को योजना का लाभ देय होता है।

10. स्वाधार गृह योजना (अशासकीय संस्थाओं को सहायक अनुदान)

➢ **अधिकार क्षेत्र–** जिला कार्यक्रम अधिकारी

➢ **योजना का उद्देश्य–** जिला कार्यालय महिला एवं बाल विकास विभाग

➢ **लाभार्थी के लिए आवश्यक शर्ते / लाभार्थी चयन प्रक्रिया–**

- ऐसी महिलाएँ जो बेसहारा हैं तथा आर्थिक व सामाजिक रूप से अत्यन्त गरीब श्रेणी की है।
- घरेलू हिंसा की शिकार महिलाएँ जिन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा अथवा जो अपनी आजीविका अर्जित करने में अक्षम हैं।
- मानव तस्करी का शिकार बनी महिलाएँ जिन्हें वेश्यावृत्ति अथवा अन्य चीजों का सामना करना पड़ा।
- एड्स से ग्रसित ऐसी महिलाएँ जिनके पास आय का कोई साधन नहीं है।
- जेल में कारावास की सजा काट रही वे महिलाएँ जिनके परिजनों ने उनका त्याग कर दिया है।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण आए संकटों का शिकार बनी महिलाएँ।

➢ **लाभार्थी वर्ग–** सामान्य, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

➢ **लाभार्थी का प्रकार–** महिला

➢ **लाभ की श्रेणी–** प्रशिक्षण, आवास

- **योजना का क्षेत्र** – सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
- **आवेदन कहाँ करें** – जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय
- **पदाभिहित अधिकारी**– जिला कार्यक्रम अधिकारी
- **आवेदन शुल्क** – निः शुल्क
- **अपील** – कलेक्टर

11. लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0

➢ योजना की जानकारी

लाड़ली बालिकाओं को उच्च शिक्षा, आत्मनिर्भर बनाने एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए लाड़ली लक्ष्मी योजना 2.0 लागू की गई है। इसमें लाड़लियों को उच्च शिक्षा एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु रूपये 25000/– की प्रोत्साहन राशि दो किश्तों में दी जायेगी। लाड़लियों की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क सरकार भरेगी।

➢ उद्देश्य

बालिका जन्म के प्रति जनता में सकारात्मक सोच, लिंग अनुपात में सुधार, बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना।

➢ योजना का लाभ

- प्रारंभ में रूपये 118000/– की कुल राशि का आश्वासन प्रमाण–पत्र।
- कक्षा 6वीं में प्रवेश पर रूपये 2000/–
- कक्षा 9वीं में प्रवेश पर रूपये 4000/–
- कक्षा 11वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/–
- कक्षा 12वीं में प्रवेश पर रूपये 6000/– की छात्रवृति
- 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर रूपये 100000/–

➢ शर्त

अंतिम भुगतान रूपये 1 लाख बालिका की आयु 21 वर्ष होने पर तथा कक्षा 12वीं की परीक्षा में सम्मिलित होने पर भुगतान की जावेगी, किन्तु शर्त यह होगी कि बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु के पूर्व न हुआ हो।

सामाजिक न्याय एवं निःशक्त कल्याण विभाग

12. मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना

➢ योजना से संबंधित जानकारी

इस योजना के माध्यम से सरकार समाज में 50 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सम्मानित बनाना चाहती है जिसके लिये लाभ और सहायता प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना 2022 के तहत सरकार द्वारा सभी अविवाहित महिलाओं को 600 रूपये की राशि प्रदान करेगी।

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–

- आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय /ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है अथवा आवेदक द्वारा पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन भी किया जा सकता है। ऑफलाईन माध्यम से आवेदन करने पर पूर्ण आवेदन करने पर आवेदक को कार्यालय द्वारा पावती अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
- उपरोक्तानुसार ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों में जनपद पंचायत/ ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/वार्ड कार्यालय द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों की जांच की जायेगी।
- ऑफलाईन प्राप्त आवेदनों को जनपद पंचायत/ ग्रामपंचायत / नगरीय निकाय/ वार्ड कार्यालय द्वारा पेंशन पोर्टल (http://pensions.samagra.gov.in) पर ऑनलाईन किया जावेगा।
- जांच उपरांत दस्तावेज सही नहीं पाये जाने पर नियमानुसार आवेदन को कारण सहित निरस्त करते हुए लिखित में सूचना आवेदक को दी जावेगी व अस्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

- संचालनालय द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से उसी माह से प्रतिमाह हितग्राही के बैंक बचत खाते में सीधे राशि जमा की जावेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:**–

- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये अविवाहिता म.प्र. की मूल निवासी होनी चाहिए।
- न्यूनतम आयु 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदिका आयकर दाता नहीं होनी चाहिए।
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी नहीं होनी चाहिए।
- अविवाहिता महिला परिवार पेंशन ना ले रही हो।
- समग्र पोर्टल पर नाम रजिस्टर्ड होना चाहिए।

13. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:**–

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:**–

- आवेदक की आयु 60 वर्ष अथवा इससे अधिक की हो।
- आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

14. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:**–

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:**–

- आवेदिका की आयु 40 वर्ष से 79 वर्ष होनी चाहिये।
- आवेदिका को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

15. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:**–

- आवेदन पत्र प्राप्त होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन को ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत को एवं नगरीय क्षेत्र में नगरीय निकाय को जांच हेतु भेजा जायेगा।
- उपरोक्त जांच हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा एवं नगरीय क्षेत्र की स्थिति में संबंधित नगरीय निकाय द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से नियमानुसार जांच करवाकर संबंधित पदाभिहित अधिकारी को भेजा जायेगा।
- प्रतिवेदन के आधार पर पात्र होने पर सहायता राशि पदाभिहित अधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी एवं सहायता राशि का भुगतान संबंधित व्यक्ति को चेक द्वारा या उसके बैंक अकाउन्ट (कोर बैंकिग) होने की स्थिति में संबंधित बैंक में ई–ट्रांसफर द्वारा किया जाएगा, यह भुगतान आवेदन दिनांक की समय सीमा में किया जायेगा, एवं इसकी सूचना आवेदक को दी जाएगी।
- प्रतिवेदन के आधार पर अपात्र होने पर पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन अस्वीकृत किया जायेगा एवं आवेदक को कारण सहित सुस्पष्ट सूचना विहित प्रारूप में दी जायेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:**–

- मृतक की आयु 18 वर्ष से अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम होना अनिवार्य है।
- मृतक परिवार का मुख्य कमाऊ सदस्य रहा हो।
- मृतक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।

16. छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:**–

आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में योजना के लिये आवश्यक दस्तावेजों सहित आवेदन प्राधिकृत अधिकारी के कार्यालय / ग्राम पंचायत / वार्ड कार्यालय में जमा किया जा सकता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:**–

- मध्यप्रदेश के निवासी हो।
- दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक है जिसमें बहुविकलांग/बौद्धिक दिव्यांग/आटिज्म या सेरेब्रल पाल्सी होने का वर्णन हो।

17. निःशक्त व्यक्तियों को विशेष साधन/उपकरण प्रदान योजना एवं शल्यक्रिया उपचार सहायता

➢ **योजना से संबंधित जानकारी**:–

- उक्त योजना के अंतर्गत ट्राईसाइकिल, वैसाखी, कैलीपर्स, व्हीलचैयर्स एवं श्रवण यंत्र आदि कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण निःशक्तजनों की कार्यक्षमता को बढाये जाने के उद्देश्य से निःशुल्क उपलब्ध कराये जाते है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- वह म.प्र. का निवासी हो।
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता हो।
- चिकित्सक की अनुशंसा।
- स्पर्श पोर्टल पर नाम अंकित हो।
- आवेदन के साथ निःशक्तता दर्शाता हुआ फोटो।

18. निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु विदेश अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

- संयुक्त संचालक/उप संचालक, सामाजिक न्याय को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- वह म.प्र. का मूल निवासी हो।
- 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता हो।
- शोध उपाधि उपरांत अध्ययन हेतु – संबंधित स्नातकोत्तर परीक्षा में प्रथम श्रेणी अथवा 60 प्रतिशत अंक या उसके समतुल्य की श्रेणी (ग्रेड) एवं संबंधित क्षेत्र में अनुभव के साथ शोध उपाधि (पी.एच.डी)।

19. निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह योजना

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

- प्राचार्य अपनी शिक्षण संस्था के लिये शिक्षण संस्था मुख्यालय में और जिला विभागीय अधिकारी शिक्षण संस्थाओं की संख्या छात्रावासों में सुलभ स्थान, स्वयं के विवेक, छात्रों की मांग आदि के प्रकाश में जिले के किसी भी स्थान पर छात्रगृह संचालन का निर्णय ले सकेगें जो कक्षा 11 से

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

मैट्रिकोत्तर कक्षाओं के छात्र–छात्राओं की उपलब्धता, संभावना एवं आवश्यकता पर आधारित होगा।

- छात्रगृह की स्थापना शासकीय अथवा किराये पर भवन लेकर की जा सकती हैं। रूपये 750/– मासिक तक का भवन किराये पर लेने के लिये शिक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रस्ताव तैयार कर अनुशंसा सहित सक्षम स्वीकृति हेतु संयुक्त संचालक/जिला उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण को प्रस्ताव प्रेषित करेगें।
- रूपये 1500/– तक मासिक किराये का भवन लेने के लिए विभागीय जिला अधिकारी सक्षम होगें, किन्तु स्वीकृति के पूर्व जिला कलेक्टर से अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।
- किराये का भवन लिये जाने की स्वीकृति देने के लिये जिला कलेक्टर अधिकृत रहेगें।
- भवन का किराया निर्धारण के लिए कलेक्टर सक्षम रहेंगे एवं इस राशि का भुगतान शैक्षणिक कलेण्डर के लिए ही होगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- वह म.प्र. का मूल निवासी हो।
- कक्षा 11वीं या उससे ऊपर की कक्षा में अध्ययनरत हो।
- छात्रगृह स्थापना हेतु न्यूनतम पांच छात्र अथवा छात्रा होना आवश्यक है। निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक हो।
- आवश्यक दस्तावेज
  1. स्वयं के तीन फोटो
  2. आयु की पुष्टि हेतु दस्तावेज

20. मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी**:–

इस योजना का उद्देश्य निःशक्त छात्र/छात्राओं को 10+2 की शिक्षा के पश्चात् मेडिकल, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर, प्रबंधन में स्नातक/स्नातकोत्तर की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु शासकीय महाविद्यालयों में नियमित रूप से प्रवेश देकर शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना हैं।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

नियमानुसार फीस, शिक्षण शुल्क तथा रूपये 1500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये निर्वाह भत्ता एवं स्नातक पश्चात् ऐसे पाठ्यक्रमों में स्नाकोत्तर की शिक्षा प्राप्त करने हेतु नियमित रूप से विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिये नगर निगम क्षेत्र में रूपये 500/– प्रतिमाह नगर पालिका क्षेत्र में रूपये 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये परिवहन भत्ता देय होगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- वह म.प्र. का मूल निवासी हो।
- 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता हो।
- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत होना आवश्यक हैं। यदि कोई छात्र / छात्रा किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण शुल्क / निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता का लाभ प्राप्त कर रहे है, तब उसे इस योजना का लाभ पृथक से प्रदाय नहीं किया जायेगा।

21. निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना–

➢ **योजना का उद्देश्य –**

इस योजना के अंतर्गत निराश्रित, निर्धन कन्या / विधवा / परित्यक्ता की सामूहिक विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर प्रारंभ की गई है।

➢ **योजना के लाभ –**

- इस योजना के अंतर्गत दम्पत्ति में से किसी एक निःशक्त होने पर सहायता राशि 2,00,000 /– रूपये एवं दोनों दाम्पत्य (युवक एवं युवती) के निःशक्त होने पर 1,00,000 /– रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा स्पर्श प्रोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है।

➢ **योजना के तहत पात्रता –**

- आवेदक 40 प्रतिशत या उससे अधिक निःशक्त हो।
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
- आवेदक 21 वर्ष एवं आवेदिका 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
- विवाह धार्मिक रीति / सामाजिक रीति या सक्षम न्यायालय द्वारा विधिक रूप से विहित किया हो।
- आवेदक / आवेदिका आयकरदाता न हों।

➢ **योजना का लाभ हेतु प्रक्रिया –**

आवेदन निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संयुक्त संचालक / उप संचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण के कार्यालय अथवा जनपद पंचायत, नगरीय निकायों में जमा किया जायेगा।

➢ **योजना का लाभ हेतु आवश्यक दस्तावेज –**

- सक्षम चिकित्सक द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया निःशक्त्ता प्रमाण पत्र।
- निवास संबंधी प्रमाण पत्र।
- विवाह संबंधी प्रमाण पत्र जिसमें विवाह धार्मिक रीति एवं सामाजिक रीति से किये गये विवाह का कोर्ट तथा स्थानीय जनप्रतिनिधि यथा – सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, महापौर, अध्यक्ष नगर पालिका / नगर निगम, सरपंच, राजस्व अधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र।
- आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज के दो–दो फोटो (दम्पत्ति के)।

22. मुख्यमंत्री निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजनाः–

➢ **योजना का उद्देश्य –**

निःशक्त विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिये इस योजना को प्रारंभ किया गया है जिसका उद्देश्य निःशक्त विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाना है।

➢ **योजना के अंतर्गत पात्रता :–**

- आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- अस्थिबाधित श्रेणी के विद्यार्थी ने विगत परीक्षा में 60 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किये हों एवं अन्य श्रेणी के दिव्यांग विद्यार्थियों ने 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय अथवा पॉलिटेकनिक हेतु नियमित विद्यार्थी के रूप में प्रवेश लिया हो।
- आवेदक ने अपना नाम स्पर्श पोर्टल पर अंकित किया हो।

23. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना –

➢ **योजना का उद्देश्य –**

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले निःशक्तजनों को आर्थिक सहायता प्रदाय करने के उद्देश्य से इस योजना को संचालित किया जा रहा है। इस योजना का क्रियांवयन एवं संचालन मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग द्वारा किया जा रहा है।

➢ **योजना के वित्तीय लाभ –**

इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्ति को 600 /– रूपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता हेतु प्रदान किये जाते हैं।

➢ **योजना के तहत पात्रता–**

- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष तक की होनी चाहिये।
- आवेदक को गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना चाहिए।

- आवेदक को 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्त होना चाहिये।

➢ **योजना के तहत आवश्यक दस्तावेज–**

- स्वयं की तीन फोटो।
- निःशक्तता प्रमाण पत्र।
- बी.पी.एल. कार्ड की छायाप्रति
- आयु प्रमाण पत्र।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया –**

- निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/नगर पालिका/नगर परिषद के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज के साथ दिया जा सकता है।
- समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है।

24. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

कल्याणी विवाह सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदिका को निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र उस जिले के कलेक्टर, संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्त जन कल्याण के कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज सहित जमा करना होगा, जहां से विवाह प्रमाण पत्र जारी हुआ है, भले ही दम्पत्ति उस जिले में निवासरत न हो।

कलेक्टर एवं संयुक्तक/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण कार्यालय में कल्याणी विवाह योजना हेतु प्राप्त आवेदनों को एक पंजी रजिस्टर में संधारित किया जाये व समस्त दस्तावेजों को एक नस्ती में पंजीबद्ध किया जाकर ऑडिट हेतु सुरक्षित रखा जावे।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

- कल्याणी व कल्याणी का पति मध्यप्रदेश के मूल निवासी हो,
- विवाह के समय कल्याणी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष या अधिक हो व कल्याणी के पति की आयु

21 वर्ष या अधिक हो,

- कल्याणी आयकरदाता न हो,
- कल्याणी शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो

25. मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

यह योजना संपूर्ण ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले एवं कृषि आधारित मजदूरी करने वाले पंजीकृत हितग्राहियों हेतु संचालित की जा रही है। योजना के अंतर्गत ऐसे समस्त खेतीहर मजदूर जिनके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम से खेती की भूमि न हो तथा जो जीविकोपार्जन हेतु कृषि, उद्यानिकी, वन रोपण तथा वनोपज संग्रह आदि में नियोजित होकर सामान्यतः मध्यप्रदेश के निवासी हो तथा मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत पंजीबद्ध नहीं हो, पात्र होंगें।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

प्रसूति सहायता पंजीकृत मजदूर की पत्नी अथवा पंजीकृत महिला मजदूर को 15 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि तथा प्रसूति व्यय के लिये रूपये 1000/– नगद राशि प्रदान की जाती है।

बीमा सहायता–आम आदमी बीमा योजना के अंतर्गत पंजीकृत हितग्राही।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

- ग्राम पंचायत में पांच वर्ष से नियमित निवास कर रहा हो।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से 59 वर्ष के मध्य हो।
- मजदूरी करने में सक्षम हो।
- कृषि/उद्यानिकी/वनरोपण/वनोपज संग्रह/मत्स्याखेट आदि मजदूरी कर जीविकोपार्जन करता हो।

आयुष विभाग

26. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारीः–**

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले प्रत्येक परिवार को रूपये 20,000/– तक की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

- आवेदन पत्र के आधार पर पात्र परिवार को लाभ प्राप्त करना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को ही उक्त योजना का लाभ प्राप्त होगा।

उच्च शिक्षा विभाग

27. प्रतिभा किरण

➢ **योजना से संबंधित जानकारी**:–

- गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की छात्रा, जिसने शहरी पाठशाला से नियमित अध्ययनरत रहकर प्रथम श्रेणी से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, को रूपये 300/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रूपये 3000/– की वार्षिक सहायता दी जाती है। इंजनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये रूपये 750/– प्रतिमाह की दर से, 10 माह के लिए रूपये 7500/– की वार्षिक सहायता।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

- नगर निगम/ नगर पालिका परिषद द्वारा गरीबी रेखा का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।
- गरीबी रेखा की सूची में परिवार का नाम दर्ज होना अनिवार्य है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक नियमित रूप से अध्ययनरत छात्राओं के लिए ही है।
- उच्च शिक्षा हेतु शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी है। (जाति का कोई बंधन नहीं)

28. विक्रमादित्य योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी**:–

- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले समान्य वर्ग के परिवारों के विद्यार्थियों के लिये उच्च शिक्षा में शुल्क से छूट देने का प्रावधान है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

- संबंधित जिले के तहसीलदार द्वारा जारी किया गया आय प्रमाण पत्र।
- विद्यार्थी द्वारा जिस वर्ष में 12वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेश लेना अनिवार्य है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- उक्त योजना का लाभ सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं को ही प्रदाय किया जायेगा।
- परिवार की वार्षिक आय रूपये 42,000/– से कम होना अनिवार्य है।

29. गाँव की बेटी

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारी**:–

म.प्र. के सभी गाँव में निवास करने वाली एवं गाँव की पाठशाला में नियमित अध्ययनोपरांत 12वीं कक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्राओं को रूपये 500/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिये रुपये 5000/– की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी।

इंजीनियरिंग तथा मेडिकल छात्राओं के लिये 750/– प्रतिमाह की दर से 10 माह के लिए रुपये 7500/– की वार्षिक सहायता दी जाती हैं। यह योजना मात्र स्नातक स्तर तक अध्ययनरत छात्राओं के लिये ही है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा जनपद पंचायत स्तर पर गॉव की बेटी का प्रमाण–पत्र जारी किया जाएगा, जिसमें उनके प्राप्तांक, ग्राम, ब्लॉक व जिले का उल्लेख होगा। छात्रा द्वारा जिसमें वर्ष 12 वीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो उसी वर्ष उच्च शिक्षा में प्रवेशित होना अनिवार्य है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

जाति बंधन नहीं हैं, केवल कन्याओं की उच्च शिक्षा हेतु, शासकीय/अनुदान प्राप्त संस्था में स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश जरूरी। प्रवेशित छात्रा द्वारा ऐसी अनुदान अप्राप्त अशासकीय संस्था जो शासकीय संस्था से 5 कि.मी. परिधि से दूर होनें पर पात्रता होगी।

पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

30. पिछड़ा वर्ग विद्यार्थी मेधावी पुरस्कार योजना –2003

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि**:–

- ऐसे छात्र/छात्राएं जिन्होंने पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं में कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- यह पिछड़ा वर्ग के केवल ऐसे छात्र/छात्राओं को देय होगा जिनके अभिभावक म.प्र. के मूल निवासी हों एवं 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जिला स्तर पर पिछड़ा वर्ग के छात्र/छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हों।

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

31. राज्य बीमारी सहायता निधि के अधीन रुपये 1 लाख के प्रकरण (जिला स्तरीय) का स्वीकृत किया जाना

➢ योजना से संबंधित जानकारीः–

- इस सेवा का उद्देश्य म.प्र के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के प्रत्येक सदस्य को राज्य बीमारी सहायता निधि की चिन्हित 20 गंभीर बीमारियो के उपचार हेतु केवल एक बार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
- वर्तमान में चिन्हित 20 गंभीर बीमारियों की सूची में नई बीमारियों को जोडा जाता है। तो भी प्रक्रिया में परिवर्तन नहीं होगा।
- इस सेवा के अंतर्गत न्यूनतम राशि 25,000/– एवं अधिकतम राशि 1,00,000/– तक की सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–

- आवेदन सबंधित पदाभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी)/प्राधिकृत कर्मचारी को निर्धारित प्रारूप में दिया जावेगा।
- आवेदन प्राप्त होने के पश्चात आवेदन के भाग–2 का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी द्वारा स्वयं या सिविल सर्जन के माध्यम से आवश्यक परीक्षण किया जायेगा।

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–

- लाभार्थी को गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का सदस्य होना अनिवार्य है।
- राज्य बीमारी सहायता के अंतर्गत चिन्हित 20 गंभीर बीमारियों में से किसी एक या अधिक बीमारी से आवेदनकर्ता ग्रसित हो।

32. विकलांगता प्रमाण पत्र दिया जाना

➢ योजना से संबंधित जानकारीः–

- इस सेवा का उद्देश्य निर्धारित समय–सीमा में निःशक्तजन (विकलांग) व्यक्ति को प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना है। जिससे की वह शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें।

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–

- इस सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा संबधित पदाभिहित अधिकारी (सिविल सर्जन) के समक्ष निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–

- आवेदक किसी प्रकार की शारीरिक (अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित, वाक् एवं श्रवणबाधित आदि) अथवा/एवं मानसिक निःशक्तता से पीड़ित हो।
- आवश्यक दस्तावेज–निवास प्रमाण पत्र (निम्नलिखित में से कोई एक) राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, बैक पासबुक आदि।

33. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कार्ड जारी करना

➢ योजना से संबंधित जानकारीः–

- इस सेवा का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निर्धारित समय–सीमा में दीनदयाल अंत्योदय उपचार कार्ड जारी कराना है, जिससे कि उन्हे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हो सकें।

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–

- इस सेवा का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को निर्धारित समय–सीमा में दीनदयाल अंत्योदय उपचार कार्ड जारी कराना है, जिससे कि उन्हे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधायें प्राप्त हो सकें।

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–

- जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र के लिए आवेदक द्वारा पदाभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। (जिला मुख्यालय के नगरीय क्षेत्र को छोड़कर शेष स्थानों के लिए आवेदक द्वारा संबंधित पदाभिहित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।)

➢ योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–

- आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार।
- उस क्षेत्र का निवासी हो, जहां से वह आवेदन कर रहा है।
- आवश्यक दस्तावेज–

  1 बी.पी.एल. प्रमाण पत्र (परिवार सूची सहित) अथवा बी.पी.एल. राशन कार्ड की फोटो कापी।

  2 परिवार के मुखिया का फोटो।

34. दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के सदस्यों को शासकीय चिकित्सा संस्थाओं में भर्ती होने पर एक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को 30 हजार रूपये तक की सहायता।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:–**

- स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर अस्पताल में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- आवेदक गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला हो।
- आवेदक उसी जिला/क्षेत्र का निवासी हो जहां से वह आवेदन कर रहा है।

35. जननी एक्सप्रेस योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

- प्रसव हेतु शासकीय अस्पताल जाने के लिये दूरभाष द्वारा सूचना दिये जाने पर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:–**

- चिकित्सालय में आने के लिये सम्बन्धित संस्था वाहन चालक को फोन द्वारा सूचना दी जानी चाहिये।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- समस्त गर्भवती महिलाओं को उक्त योजना का लाभ मिलता है।
- चिकित्सालय आने के लिये संबंधित संस्था वाहन चालक को फोन द्वारा सूचना दी जानी चाहिये।

36. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए जन्म से 1 वर्ष तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना है।

- योजना के अन्तर्गत निःशुल्क औषधि, सामग्री, परिवहन, भोजन, जांचे, ब्लड ट्रान्सफ्यूजन उपलब्ध कराई जा रही है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:–**

- महिला का गर्भवती होते ही एम.सी.टी.एस. में पंजीयन तथा एम.सी.पी. कार्ड प्राप्त कर सेवा के समय प्रस्तुत करना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- महिला का गर्भवती होना तथा शासकीय संस्था में सेवाएँ प्राप्त करना।

37. जननी सहयोगी योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

- जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं के लिए जन्म से 1 वर्ष तक निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है।
- योजना के अन्तर्गत निःशुल्क औषधि, सामग्री, परिवहन भोजन, जाँचे ब्लड ट्रान्सफ्यूजन उपलब्ध कराई जा रही है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि:–**

प्राईवेट अस्पताल में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर निःशुल्क सेवाएँ उपलब्ध कराई जाती हैं।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

बी.पी.एल. सूची में पंजीयन होना अनिवार्य है तथा नीला पीला तथा अंत्योदय उपचार योजना स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा।

38. जननी सुरक्षा योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

- शासकीय एवं प्राइवेट अस्पताल (सरकार से मान्यता प्राप्त) में प्रसव कराने पर ग्रामीण गर्भवती महिला को रूपये 1400/– तथा शहरी गर्भवती महिला को रूपये 1000/– दिये जाते हैं।
- महिला के साथ आने वाले प्रेरक को ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 350/– तथा शहरी क्षेत्र में रूपये 200/– दिये जाते हैं।
- परिवहन की व्यवस्था प्रेरक अथवा परिवार द्वारा कराने पर रूपये 250/– दिये जाते हैं।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि**:–

शासकीय अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सक खुद ही राशि उपलब्ध करायेंगे, प्राइवेट अस्पताल में बी.पी.एल. वालों को प्रमाण पत्र या परिवार स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें**:–

- सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती होने वाली प्रत्येक गर्भवती महिला।
- प्राइवेट अस्पताल में बी.पी.एल. अंत्योदय में आने वाले परिवारों की गर्भवती महिला। इसके लिये नीला पीला राशन कार्ड अथवा परिवार स्वास्थ्य कार्ड प्रस्तुत करना पड़ेगा।

39. मध्यप्रदेश कोविड उपचार योजना

➤ **योजना से संबंधित जानकारी** :–

मध्यप्रदेश सरकार की कोविड उपचार योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को निःशुल्क उपचार की सुविधा प्रदान की जाएगी। जो लाभार्थी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके पास आयुष्मान कार्ड होना अनिवार्य है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के पश्चात कोई भी व्यक्ति उस कार्ड का प्रयोग करके अपना इलाज निःशुल्क करवा सकता है।

सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य में निवासरत सभी गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को कोविड महामारी के दौरान उचित इलाज एवं स्वास्थ्य सुविधाएँ मुहैया करना। जिससे इन सभी परिवारों को बीमारी की वजह से आर्थिक रूप से होने वाली असुविधा से बचाया जा सके।

आयुष्मान कार्ड राज्य का कोई भी व्यक्ति बना सकता है इस कार्ड से व्यक्ति का इलाज किसी भी अस्पताल में चाहे वह निजी हो या सरकारी निःशुल्क किया जाएगा।

इच्छुक लाभार्थी इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना आवेदन करवा सकते हैं।

➤ **मध्यप्रदेश कोविड उपचार योजना का उद्देश्य** :–

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा इस योजना को राज्य के नागरिकों के लिए शुरू किया गया। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत लाभ उठाने हेतु आपको आयुष्मान कार्ड धारक होना अनिवार्य है। इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों को काफी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।

➤ **योजना के लाभ** :–

- यह योजना सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के इलाज के लिए शुरू की गई है।
- मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना द्वारा राज्य के नागरिक मुफ्त उपचार करवाने की सुविधा का लाभ उठा पाएँगे।
- इस योजना के अंतर्गत नागरिकों को बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान की जाएँगी।
- सरकार द्वारा नागरिकों को मुफ्त में स्कैन कराने की सुविधा भी दी जाएगी।

- इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा बहुत सी फैसिलिटी नागरिकों को मुहैया कराई जाएँगी।
- यह योजना राज्य के नागरिकों के लिए एक बहुत अच्छी योजना है।
- इस योजना के अंतर्गत बीमार लोगों के लिए 6000 बिस्तरों का बंदोबस्त किया जाएगा।
- सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना खासतौर पर उन परिवारों के लिए शुरू की गई है जो आर्थिक रूप से असमर्थ है और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
- इस योजना के माध्यम से वह परिवार जिनके आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है अपना इलाज किसी बड़े अस्पताल में बिना किसी परेशानी के करवा सकेंगे।
- आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए लाभार्थी को पात्रता के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- वह लाभार्थी जिनके पास आयुष्मान कार्ड होगा केवल वही इस योजना का लाभ उठा पाएँगे।

➤ **योजना की पात्रता** :–

- लाभार्थी को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों पर इस योजना का लाभ प्राप्त होगा।
- आवेदक को मध्यप्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है।

➤ **मुख्य दस्तावेज** :–

मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज निम्नलिखित हैः–

- आधार कार्ड • पैन कार्ड • आय प्रमाण पत्र • जाति प्रमाण पत्र • निवास प्रमाण पत्र
- विद्यार्थी के पिता / पालक की वार्षिक आय रूपये 6 लाख से कम हो।
- वर्ष 2017 में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की परीक्षा में 75 प्रतिशत या उससे अधिक अंक अथवा सी.बी.एस.ई. द्वारा आयोजित परीक्षा में 75 प्रतिशत।

स्कूल शिक्षा विभाग

40. अनुसूचित जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 6वीं, 9 वीं एवं 11वीं के लिये

➤ **योजना से संबंधित जानकारी**:–

अनु. जनजाति कन्या साक्षरता प्रोत्साहन राशि कक्षा 6वीं, 9वीं एवं 11वीं की बालिकाओं को क्रमशः रूपये 500 / –, रूपये 1000 / –, रूपये 3000 / – प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति अध्ययनरत शाला में जमा करना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

- अनुसूचित जनजाति वर्ग की छात्रायें।
- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा सत्यापित स्थायी जाति प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित आय प्रमाण पत्र या वेतन प्रमाण पत्र।

41. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना (कक्षा 12वीं उत्तीर्ण) (केवल शास. विद्या. के लिये)

➢ **योजना से संबंधित जानकारीः–**

इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं उत्तीर्ण (केवल शास विद्या. के लिये) बालक एवं बालिकाओं को रुपये 5000/– एकमुश्त राशि प्रदाय किए जाने का प्रावधान है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

- विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

प्रत्येक जिले के शासकीय विद्यालयों में 12वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होने वाले प्रत्येक संकाय के सामान्य वर्ग के निर्धन छात्र एवं छात्राओं को लाभ प्राप्त होगा।

42. नेशनल मेरिट स्कॉलरशिप

➢ **योजना से संबंधित जानकारीः–**

ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत् कक्षा 9वीं के छात्रों को कक्षा 8वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त होने पर एवं कक्षा 11वीं के छात्रों को 10वीं में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त होने पर छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

स्कूलों से प्राप्त प्रस्ताव आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय को भेजे जाते है। स्वीकृति के बाद प्राप्त राशि प्रक्रियानुसार जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चैक के माध्यम से पात्र छात्रों को दी जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

कक्षा 8वीं में सर्वाधिक अंक, कक्षा 10वीं में 85 प्रतिशत या उससे अधिक अंक, अभिभावक की वार्षिक आय 1 लाख रूपये से कम हो।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

43. पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12 तक (केवल शासकीय विद्यालय के लिये)

➢ **योजना से संबंधित जानकारीः–**

पितृहीन कन्याओं को छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 12 तक (केवल शास. विद्या. के लिये) बालिका को कक्षा 1 से 5 तक रूपये 350/–, कक्षा 6 से 8 तक रूपये 400/– एवं कक्षा 9 से 10+2 तक रूपये 450/– प्रतिवर्ष प्रदाय किये जाते हैं।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं कॉलम 4 में उल्लेखित आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

- अन्य छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त होने पर पितृहीन कन्याओं की छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
- गत् वर्ष की कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

44. बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना (NSIGSE)

➢ **योजना से संबंधित जानकारीः–**

उक्त योजना (नेशनल स्कीम फॉर इनसेनटिव टु गर्ल्स फॉर सेकण्डरी एजुकेशन) (NSIGSE) भारत सरकार की पूर्णतः केन्द्र प्रवर्तित योजना है। इस योजना के अन्तर्गत शासकीय/अनुदान प्राप्त विद्यालयों की कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की हो, उक्त सभी वर्गो की पात्र बालिकाओं के खाते में रुपये 3000/– (तीन हजार) की राशि केन्द्र सरकार द्वारा जमा की जाती है, जिसे वे 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद आहरित करने हेतु पात्र होती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ सभी संकुल प्राचार्य द्वारा हितग्राही बालिकाओं के प्रस्ताव ऑनलाईन एजुकेशन पोर्टल पर डाले जाते है। तत्पश्चात् संचालनालय स्तर से प्रस्ताव को भारत सरकार को भेजे जाते है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेंः–**

- 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करके राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय के स्कूल में 9वीं कक्षा में नामांकित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की बालिकाएँ।
- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली सभी बालिकाएँ (भले ही वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदायों की हों या न हों)।

45. इंस्पायर अवॉर्ड

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

भारत सरकार द्वारा पात्रता के आधार पर स्वीकृत सूची में छात्र/छात्राओं को भारत सरकार द्वारा रूपये 5,000/– का बैंक वारंट प्रदाय किये जाने का प्रावधान है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

संस्था प्रमुख/डी.डी.ओ. द्वारा कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं एवं 9वीं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र/छात्रा का नाम एजुकेशन पोर्टल पर आनलाईन प्रविष्टि किये जाने एवं निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आनलाईन प्रविष्टियों को भारत सरकार को प्रेषित किये जाने के उपरांत।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

प्रदेश के शासकीय/अशासकीय विद्यालयों की कक्षा 6वीं से 10वीं में अध्ययनरत छात्र जिन्होंने विद्यालय की पूर्व कक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किये हो। ऐसे छात्रों की संस्था प्रमुख/डी.डी.ओ. द्वारा आनलाईन प्रविष्टि किया जाना।

46. इकलौती बेटी छात्रवृत्ति

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

इकलौती बेटी को शिक्षा विकास छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं एवं 12वीं (म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त एवं मण्डल का पाठ्यक्रम संचालित करने वाले संचालित करने वाले अशासकीय हायर सेकेण्ड्री विद्यालय) में इकलौती बेटी को रूपये 5,000/– प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

- विद्यार्थी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन एवं आवश्यक प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति।
- आवेदन शुल्क–निःशुल्क
- संपर्क अधिकारी–संकुल प्राचार्य (आहरण वितरण अधिकारी) शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/विकासखंड शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

- बालिकायें जो अपनी माता–पिता की इकलौती संतान है।
- मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल के पाठ्यक्रम में 10वीं की परीक्षा में 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त।
- यह छात्रवृत्ति उन्हीं मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में अध्ययन हेतु दी जायेंगी।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

47. मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

शासकीय एवं शासन से अनुदान प्राप्त प्राथमिक शालाओं में शैक्षिक रुप से पिछड़े इलाके में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम योजना प्रदेश में लागू की गई है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रदेश की समस्त शासकीय, प्राथमिक, माध्यमिक शालाओं शासन से अनुदान प्राप्त, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ऐसे मदरसें जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय सहायता दी जा रही है, में अध्यनरत समस्त छात्र/छात्राओं हेतु किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

समस्त शासकीय प्राथमिक/माध्यमिक शालाओं में शासन से अनुदान प्राप्त, राष्ट्रीय बालश्रम परियोजना अंतर्गत संचालित शालाओं, विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों एवं ऐसे मदरसे, जिन्हें सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत शासकीय सहायता दी जा रही है, में अध्यनरत समस्त छात्र/छात्राओं हेतु किया गया है।

श्रम विभाग

48. विवाह सहायता योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

योजना में पंजीबद्ध निर्माण श्रमिक की अधिकतम दो पुत्रियों तक अथवा स्वयं महिला पंजीकृत निर्माण श्रमिक को 25 हजार रुपये प्रति विवाह सहायता राशि एवं सामूहिक विवाह के आयोजन की दशा में 23 हजार रुपये सहायता राशि तथा 2 हजार रुपये सहायता आयोजक को प्रति विवाह अलग से देय है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

निर्धारित आवेदन पत्र श्रमिक का वैध पंजीयन कार्ड, वर एवं वधु के फोटो तथा आयु संबंधी प्रमाण (आयु के लिए निम्नलिखित में से कोइ एक–स्कूल का प्रमाण पत्र/अंकसूची, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता सूची, स्वयं का मतदाता परिचय पत्र, घोषणा पत्र कि आवेदक ने कन्यादान योजना में लाभ नहीं लिया है, चिकित्सक प्रमाण पत्र उपरोक्त में से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने पर नोटरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित आयु के संबंध में शपथ पत्र, विवाह किया जा रहा है। इसके संबंध में प्रमाण पत्र (निमंत्रण पत्र) आवेदन प्रक्रिया–आवेदन विवाह के एक दिन पूर्व तक प्रस्तुत किया जा सकता है। आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जाँच के उपरान्त निम्नानुसार आवेदक को विवाह सहायता योजना का लाभ प्रदान करने की सेवा 30 कार्य दिवस में प्रदाय की जावेगी। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन के साथ श्रमिक के जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र, विवाह तथा वर वधु की

आयु के प्रमाण पत्र पाए जाने पर स्वीकृत आदेश जारी करते हुए 30 कार्य दिवस में सहायता दी जायेगी। पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपर्युक्त योजनाओं में आवेदन की जाँच के पश्चात स्वीकृति दी जावेगी। आवेदन पत्र अस्वीकृत होने की स्थिति में आवेदक को कारण दर्शित करते हुए सूचना दी जावेगी। आवेदन का निराकरण पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत दिनांक से अधिकतम 30 कार्य दिवस में किया जाकर सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी। विवाह के बाद प्रस्तुत आवेदन अमान्य किया जाएगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

पंजीकृत श्रमिक का जीवित पंजीयन (निर्माण श्रमिक का पंजीयन, पंजीयन दिनांक से **5** वर्ष तक वैध रहता है) वर की आयु न्यूनतम **21** वर्ष तथा वधु की आयु **18** वर्ष होना अनिवार्य है।

49. प्रसूति सहायता योजना, 2004

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

सहायता 3 बच्चों तक सीमित प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिकों हेतु तथा 1 हजार रूपये पोषण भत्ता, 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

पंजीकृत निर्माण श्रमिक के द्वारा प्रसूति के 60 दिन पश्चात् तक पदाभिहित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर लाभ देय होगा।

- जिला मुख्यालय के नगरीय निकाय क्षेत्र में संबंधित जिला श्रम अधिकारी
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य नगरीय क्षेत्रों में संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पत्नी ही हितलाभ की पात्र। आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा प्रसूति / जन्म संबंधी प्रमाण पत्र।

50. मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

मुख्यमंत्री असंगठित मजदूर योजना के अंतर्गत पंजीकृत मजदूर जैसे कि खेतों में मजदूरी करने वाले, गृहकर्मी स्ट्रीट हाकर्स, मछली पकड़ने वाले श्रमिक, पत्थर तोड़ने वाले, स्थायी ईट निर्माता दुकानदार गोदामों, परिवहन हथकरघा, बिजली के सामान, डाइंग–प्रिंटिंग, सिलाई बुनाई कढाई, लकड़ी के सामान, चमड़े के सामान चमड़े के जूते बनाने वाले या पटाखे बनाने वाले, ऑटो रिक्शा चालकों, आटा, तेल, दाल, चावल और पोहा, बर्तन कारीगरों चौकीदार, सुतार और मजदूर असंगठित कार्यकर्ताओं को निम्न लाभ दिये जायेंगे।

- तेंदूपत्ता तोड़ने के कार्य में लगे मजदूरों का पारिश्रमिक 1200 / – रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 2000 / – रुपये प्रति मानक बोरा किया जायेगा।
- तेंदूपत्ता बीनने वालों को सीजन के बोनस के रूप में राशि दी जावेगी। मजदूरों के पुराने बिजली बिल फ्रीज किये जायेंगे, उन्हें 200 / – रुपये प्रति माह फ्लैट रेट पर बिजली मिलेगी।
- साइकिल रिक्शा चालकों को ई–रिक्शा दिये जायेंगे।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक पंजीयन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में अपनी ग्राम पंचायत के सचिव को तथा नगरीय क्षेत्र में अपने नगर पंचायत, नगरपालिका कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन प्राप्त कर उसे पूर्ण रूप से भरकर जमा कर पंजीयन करा सकते हैं। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सचिव तथा वार्ड प्रभारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र प्राप्त कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। पंजीयन ऑनलाइन जारी किया जाएगा तथा संबंधित के मोबाईल पर मैसेज या वाइस कॉल के माध्यम से पंजीयन की सूचना मिलेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

- आवेदक श्रमिक होना चाहिए।
- श्रमिक किसी भी प्रकार की सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिये।
- करदाता नहीं होना चाहिए।
- कृषि भूमि नहीं होना चाहिए।

51. निर्माण श्रमिकों का पंजीयन

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

निर्माण श्रमिकों के पंजीयन से श्रमिक एवं उनके परिवार के आश्रित सदस्यों को म.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मण्डल की निम्न योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सकेगा –

प्रसूति सहायता, विवाह सहायता, एवं अपंगता सहायता, आवास ऋण सहायता योजना, पेंशन सहायता योजना एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण योजना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

पदाभिहित अधिकारी प्रस्तुत आवेदन की जांच कर पात्र पाये जाने पर निर्माण श्रमिक पंजीयन कार्ड (परिचय पत्र) आवेदक को जारी किया जावेगा। जांच उपरांत पात्र न पाये जाने पर आवेदन निरस्त कर कारणों की सूचना से आवेदक को लिखित में अवगत कराया जायेगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

पंजीयन हेतु पात्रता– निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन के लिए श्रमिक की उम्र 18 से 60 वर्ष के मध्य तथा पिछले 12 माह में कम से कम 90 दिवस निर्माण क्षेत्र में कार्य करना आवश्यक है। पंजीयन का नवीनीकरण 3 वर्ष में किया जावेगा।

52. मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह भुगतान योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर रूपये 25000/– से 1 लाख रूपये तक तथा अंत्येष्टि सहायता के रूप में रूपये 3000/– देय तथा निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में अपंगता पर रूपये 75 हजार रूपये तक सहायता।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

मृत्यु उपरान्त पदाभिहित अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर हितलाभ देय होगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

स्वयं पंजीकृत निर्माण श्रमिक की मृत्यु पर ही योजना का लाभ देय है। आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र तथा सक्षम प्राधिकारी का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना मृत्यु में एफ.आई. आर. की प्रति संबंधी प्रमाण पत्र आदि आवश्यक है।

53. श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना, 2012

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

निर्धारित योग्यताधारी निर्माण श्रमिकों तथा आश्रितजनों हेतु भारत सरकार अथवा राज्य शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

न्यूनतम छः माह पूर्व से पंजीकृत पात्र हिताधिकारियों एवं उनके आश्रितों का चयन निर्धारित प्रपत्र में आवेदन की आवश्यक जांच के पश्चात् निर्धारित मापदण्डानुसार प्रशिक्षण हेतु चयन किया जावेगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

18 से 45 वर्ष के निर्माण श्रमिकों एवं उनके 16 से 45 वर्ष के आश्रितजनों को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने की पात्रता। आवेदन के साथ वैध कम्प्यूटर जनित पंजीयन प्रमाण पत्र जो न्यूनतम छः माह पूर्व बना हो, आश्रित होने पर पंजीकृत हितग्राही के आश्रित होने का प्रमाण पत्र आदि आवश्यक है।

54. निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थायी अपंगता होने पर सहायता प्रदान करना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर पंजीकृत श्रमिक की स्थाई अपंगता पर रूपये 75 हजार की आर्थिक सहायता योजनांतर्गत प्राप्त हो सकेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

आवेदन प्राप्त होने के पश्चात संबंधित पदाभिहित अधिकारी द्वारा दस्तावेज की जाँच उपरांत नियमानुसार आवेदक को निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना में स्थाई अपंगता होने पर रूपये 75,000/– की सहायता प्रदाय की जावेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

पंजीकृत निर्माण श्रमिक की निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर स्थायी अपंगता पर हितलाभ देय है।

निर्माण कार्य के दौरान दुर्घटना की स्थिति में स्थाई अपंगता होने पर सहायता हेतु निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे –

- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र पंजीकृत श्रमिक प्रमाण पत्र,
- मृत्यु प्रमाण पत्र,
- स्थायी अपंगता प्रमाण पत्र आदि।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएँ

55. गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सूची में नाम जोड़ना (ग्रामीण क्षेत्र)

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र गरीब परिवारों के नाम गरीबी रेखा के नीचे के परिवार की सूची में जोड़ने की प्रक्रिया समय सीमा में पूर्ण करना है जिससे कोई ग्रामीण परिवार उसके हित में संचालित शासन की योजनाओं से वंचित न रहें।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

आवेदन संबंधित पदाभिहित अधिकारी तहसीलदार अपर तहसीलदार नायब तहसीलदार प्राधिकृत कर्मचारी को दिया जावेगा। आवेदक को आवेदन प्रस्तुत करने के साथ ही उसे अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के धारा 5(1) के अंतर्गत प्रदाय की जावेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

इस सेवा को प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन किया जा सकता है।

- बी.पी.एल. सर्वे 2002–03 के अनुसार तैयार की गई बी.पी.एल. सर्वे सूची में यदि आवेदक का नाम सम्मिलित ना हो।
- यदि किसी परिवार का सर्वेक्षण 2002–03 में नहीं हुआ हो।

56. अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

खाद्य सुरक्षा अधिनियम 13 के अंतर्गत आधुनिक एवं वैज्ञानिक खाद्य अनाज भण्डारण सुविधा का सन्निर्माण और अनुरक्षण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भण्डारण हेतु गोदाम निर्माण।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत जनपद / जिला पंचायत के अनुमोदन पर एस.ओ.पी. में सम्मिलित कार्य की तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति कर 100 मीट्रिक टन क्षमता वाले गोदाम का निर्माण सहकारिता विभाग से प्राप्त डिजाइन के आधार पर कार्य प्रारम्भ करना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

ग्राम पंचायत में उपलब्ध शासकीय 1 एकड़ (44000 वर्ग फीट) भूमि सहकारिता विभाग एवं राजस्व विभाग के माध्यम से आवंटित कर निर्माण कराना। सामान्य माँग पत्र जिसमें आवेदक का नाम पता एवं किस योजना के तहत माँग पत्र प्रस्तुत किया है का विवरण होगा।

57. इन्दिरा आवास योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

इन्दिरा आवास योजना गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को वित्तीय सहायता देकर आवासीय इकाईयों के निर्माण / उन्नयन में मदद करना है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

जिला पंचायत वित्तीय वर्ष हेतु प्राप्त लक्ष्य का आवंटन ग्राम पंचायत को करती हैं। तदानुसार चयन की कार्यवाही ग्राम सभा द्वारा की जाती हैं। इसमें किसी उच्च स्तर से अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

लक्ष्य समूह / चयन में प्राथमिकता:– मुक्त बन्धुआ मजदूर, अजा / अजजा परिवार (जो अत्याचारों से पीड़ित हैं, जिनकी मुखिया विधवाएँ तथा अविवाहित महिलाएँ हैं, जो बाढ भूकंप चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं तथा मनुष्य द्वारा उत्पन्न आपदाओं से पीड़ित हैं)।

58. कामधेनू

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

कामधेनू ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 पशु उपलब्ध होने की स्थिति में ग्रामीण गोशालाएँ निर्माण की जाने की योजना हैं।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

गौशाला तक पहुँच मार्ग सी.पी.टी. निर्माण, पेय जल कूप, वृक्षारोपण, चारागाह विकास एवं गोबर खाद तैयार करने हेतु प्रक्रिया।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

उप संचालक पशु चिकित्सक सचिव एवं सरपंच तथा पटवारी द्वारा गौशाला निर्माण हेतु शासकीय भूमि एवं हितग्राही / गोशाला प्रबंधक का चयन किया जाता है। सामान्य माँग पत्र जिसमें आवेदक का नाम पता एवं किस योजना के तहत माँग पत्र प्रस्तुत किया है, का विवरण होगा।

59. क्रीड़ांगन

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने, बच्चों को अपनी प्रतिभा को उच्च स्तर पर प्रदर्शित करने एवं ग्रामीण क्षेत्रों के खेल मैदानों को सुविधायुक्त बनाना। समतलीकरण कार्य खेल–मैदान के चारों ओर वृक्षारोपण एवं सी.पी.टी. बोल्डर वाल निर्माण।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

ग्राम सभा से प्रस्ताव पारित कर एस.ओ.पी. में सम्मिलित कर स्वीकृत की कार्यवाही करना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

शासकीय शिक्षण संस्थाओं में स्थित खेल मैदान ग्राम पंचायतों की शासकीय भूमि में खेल मैदान। सामान्य माँग पत्र जिसमें आवेदक का नाम पता एवं किस योजना के तहत माँग पत्र प्रस्तुत किया है, का विवरण होगा।

60. पंच परमेश्वर योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी:–**

ग्रामीण क्षेत्रों में गाँव की आंतरिक गलियों को कीचड़ मुक्त करने, आवागमन को सुलभ बनाने के लिए सीमेंट कांक्रीट रोड एवं नाली पंच परमेश्वर मद से एवं मनरेगा के अभिसरण से निर्माण कराना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

ग्राम सभा से अनुमोदन उपरांत जनपद, जिला पंचायत से एस.ओ.पी. में सम्मिलित करना तथा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व के अनुमोदन उपरांत मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को भेजकर प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–** ग्राम सभा के निवासरत ग्रामीण व्यक्ति।

61. ग्रामीण क्षेत्र के बी.पी.एल. आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

इस सेवा का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र बी.पी.एल. आवासहीन या कच्चे आवासधारी परिवारों की बी.पी.एल. सर्वे 2002–03 एवं अनुपूरक सूची में से वरीयता सूची के आधार पर आवास उपलब्ध कराना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

- आवेदक अपना नाम सादे कागज पर बी.पी.एल. राशन कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन करेंगा।
- आवेदक का नाम बी.पी.एल. आवासहीन कच्चे आवासधारी की सूची में नाम दर्ज होने का उल्लेख भी करेगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

बी.पी.एल. सर्वे 2002–03 के अनुसार तैयार की गई आवासहीन कच्चे आवासधारियों का इंदिरा आवास वरीयता सूची में नाम सम्मिलित हो। संबंधित ग्राम पंचायत को वित्तीय वर्ष में भौतिक लक्ष्य आवंटित होने पर।

62. मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

योजना के तहत निविदा पद्धति से ठेकेदारों के माध्यम से कार्य कराये जाते है। ग्रामीण सड़क अधोसंरचना के उच्च विकास हेतु तकनीकी के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता हासिल की जा सके, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के तकनीकी पर्यवेक्षक एवं सलाहकारों की मदद ली जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

योजनांतर्गत बिना जुड़ी बसाहटों को आबादी के घटते क्रम अनुसार चयन किया जाता है।

63. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का उद्देश्य प्रत्येक विकासखण्ड में उपलब्ध संसाधन स्थानीय कौशल और बाजार की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए 4–5 मुख्य गतिविधियों का चयन करना है और सहायता प्राप्त प्रत्येक परिवार को उपयुक्त अवधि में गरीबी रेखा से ऊपर लाना। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम स्थापित करने के लिये आवश्यकतानुसार ऋण (एक से अधिक बार भी) देकर तथा हितग्राहियों को पात्रतानुसार अनुदान देकर गरीबी उन्मूलन करना।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

योजनांतर्गत अनुदान पात्रतानुसार जबकि ऋण आवश्यकतानुसार (एक से अधिक बार भी उपलब्ध कराया जा सकता हैं। यह योजना पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से संचालित की जाती हैं। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों का चयन ग्राम पंचायत के द्वारा ग्राम सभा के अनुमोदन से किया जाता हैं।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले चयनित ग्रामीण परिवार तथा हितग्राही। सामान्य वर्ग के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 30 प्रतिशत रूपये 7500 के अध्यधीन रहते हुये अनूसुचित जाति / अनूसुचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत।

64. मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना

➢ **योजना से संबंधित जानकारी :–**

जनपद पंचायत के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

हितग्राही ग्राम पंचायत सचिव को आवास योजना का लाभ लेने के लिये आवेदन करेगा, जिसकी पावती उसे दी जावेगी। पंचायत स्तर पर प्राप्त सभी आवदेनों को ग्राम पंचायत स्तरीय तीन सदस्यों की समिति के समक्ष रखा जावेगा।

ग्राम पंचायत स्तरीय समिति में निम्नलिखित तीन सदस्य होंगें–

- पंचायत समन्वय अधिकारी
- पटवारी
- ग्राम पंचायत सचिव

समिति द्वारा तैयार की गई सूची ग्राम सभा के अवलोकनार्थ / अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जावेगी।

ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता का निर्धारण सभा में चर्चा उपरांत अंतिम रूप से किया जावेगा। ऋण स्वीकृति के लिये प्राथमिकता का क्रम बैंक के लिये बंधनकारी नहीं होगा। पात्रता के संबंध में ग्राम सभा के निर्णय से अंसतुष्ट होने पर अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपील की जा सकेगी। निर्धारित सूची में से लक्ष्य के दोगुना नामों की सूची बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु भेजी जावेगी। ऋण पुर्नभुगतान क्षमता के आधार पर बैंक लक्ष्य अनुसार हितग्राहियों को ऋण स्वीकृत करेगा। भविष्य में लक्ष्य प्राप्त होने पर इसी सूची के वरीयता क्रम अनुसार बैंक में प्रकरण प्रेषित किये जावेंगे।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

आवासहीन, कच्चे / अर्द्धपक्के आवासों में निवासरत ग्राम में रहने वाले ऐसे सभी ग्रामीण इस योजना के पात्र हितग्राही होगें जो अधिकतम एक हेक्टेयर कृषि भूमि धारक परिवार है अथवा जिनकी सभी स्त्रोतों से अधिकतम आय रूपये 2 लाख वार्षिक है।

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की योजनाएँ

65. विक्रमादित्य निःशुल्क शिक्षा योजना

योजना से सम्बंधित जानकारी :–

इस योजना के अंतर्गत सामान्य निर्धन वर्ग के प्रशिक्षणार्थी जो कि मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी हो तथा जिनके माता पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय राशि रूपये 42,000/– से अधिक न हो, को प्रशिक्षण शुल्क में छूट प्राप्ति करने की पात्रता होगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

प्रवेश के समय संबंधित प्रशिक्षणार्थी को निर्धारित आवेदन पत्र पर संस्था के प्रमुख को आवेदन प्रस्तुत कर इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

- मध्यप्रदेश के वास्तविक मूल निवासी हो तथा जिनके माता पिता/अभिभावक की समस्त स्त्रोतों से आय राशि रूपये 42,000/– से अधिक न हो।
- परिवार में वार्षिक आय रूपये 42,000/– से कम होने संबंधी शासन से प्राप्त प्रमाण पत्र आवश्यक।
- सामान्य वर्ग के छात्र–छात्राओं हेतु।

66. रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायों ने छः माह का अल्पकालीन प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। सामान्यातः योजना माह अप्रैल एवं अक्टूबर में प्रारंभ की जाती है। इस हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधि :–**

संचालनालय द्वारा आयुक्त जन संपर्क के माध्यम से विज्ञापन जारी कराया जाता है। प्रवेश लेने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 350/–संस्था में जमा करना होता है। इस योजना में छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

शैक्षणिक योग्यता व्यवसायवार क्रमशः 8वीं, 10वीं, तथा 12वीं, रखी गयी है। चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। इस हेतु आवेदन को संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आवेदन देना होता है। आरक्षण का लाभ नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है।

67. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित सीटों के 4 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 125/– प्रतिमाह की मेरिट छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–**

संस्था में प्रवेश होने के उपरांत संस्था स्तर पर तीन–चार माह बाद एक परीक्षा आयोजित की जाती है। जिसके आधार पर छात्रों की सूची निर्धारित की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

संस्था स्तर पर आयोजित परीक्षा में प्राप्तांकों के अनुसार मेरिट में आने पर इस योजना का लाभ देय है।

68. मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

इंजीनियरिंग का कोई भी विद्यार्थी जिसका जे.ई.ई मेंस परीक्षा में रेंक 50 हजार के अंतर्गत हो। अगर विद्यार्थी किसी भी शासकीय अथवा अशासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश प्राप्त करता है तो शासकीय कॉलेज की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी। साथ ही प्रायवेट कॉलेज की फीस 1.5 लाख रूपए या वास्तविक शिक्षण शुल्क जो कम हो राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।

मेडिकल में जिन छात्रों ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा (नीट) से मेरिट पाकर देश के किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेज अथवा मध्यप्रदेश में स्थित प्रायवेट मेडिकल कॉलेज के एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में दाखिला प्राप्त न किया हो।

शासकीय मेडिकल कॉलेज में विद्यार्थियों की पूरी फीस एवं निजी क्षेत्र में देय शुल्क राज्य शासन द्वारा वहन किया जावेगा।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/ विधि :–**

क्लेट (कॉमन ला एडमिशन टेस्ट) के माध्यम से देश भर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (एन.एल.यू.) में बारहवीं कक्षा के बाद एडमिशन वाले कोर्स की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी। मध्यप्रदेश में स्थित भारत सरकार तथा राज्य सरकार के प्रमुख संस्थाधन जैसे योजना तथा वास्तु कला विद्यालय, भोपाल आई.आई.एम. इन्दौर के 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड पोस्ट–ग्रेजूएशन प्रोग्राम के कोर्स की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी। राज्य शासन के सभी कॉलेज जिसमें बी.एस.सी., बी.ए., बी.कॉम., नर्सिंग पॉलिटेक्निक तथा स्नातक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों की पूरी फीस राज्य शासन द्वारा वहन की जावेगी।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

- विद्यार्थियों का मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है,

69. अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना (आई .टी. आई.)

➤ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

इस योजना के अंतर्गत 82 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर व्यवसाय में छः माह का अल्पकालीन प्रशिक्षण संबंधित संस्थानों में संचालित किया जाता है। सामान्यतः योजना माह अप्रैल एवं अक्टूबर में प्रारंभ की जाती है। इस हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जाता है।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–**

संचालनालय द्वारा आयुक्त जन संपर्क के माध्यम से विज्ञापन जारी कराया जाता है। यह योजना केवल अनुसूचित जाति/ जनजाति के युवाओं के लिये है। आवेदन पत्र संबंधित संस्था को प्रस्तुत किया जाना होता है। प्रवेश होने पर प्रत्येक प्रशिक्षार्थी को रूपये 500 देय होता है।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

शैक्षणिक योग्यता 12 वीं रखी गयी है। चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। आयु सीमा 16 से 40 वर्ष निर्धारित होने पर इस योजना का लाभ देय होता है।

70. अनुसूचित जाति/जनजाति के युवाओं को कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति

➤ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आई.टी.आई.) में इस योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणरत समस्त प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 500/–प्रतिमाह के मान से छात्रवृत्ति दी जाती है।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/ विधि :–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में इस योजना के अंतर्गत प्रवेश की कार्यवाही हेतु विज्ञापन दिया जाता है। प्राप्त आवेदन पत्रों के अनुसार मेरिट से प्रशिक्षणार्थियों के चयन की कार्यवाही की जाती है। शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी निर्धारित की गई है।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें :–**

समस्त चयनित आवेदकों को छात्रवृत्ति दी जाती है उम्र 18 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है।

71. अनुसूचित जाति/जनजाति के युवक/युवतियों को 6 माही कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना

➤ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

मध्यप्रदेश के 12 वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवक/युवतियों को 6 माहीं कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु यह योजना प्रारंभ की गई है। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को रूपये 500/– छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान किये जाते है। सफल प्रशिक्षार्थियों को एक माह का व्यवसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रदेश के कुल 30 केन्द्रों में प्रत्येक केन्द्र में 25 तथा क्रिस्प भोपाल में 30 सीटें उपलब्ध होती हैं। इस प्रशिक्षण के लिये कुल 725 स्थान उपलब्ध होते हैं।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधिः–**

मध्यप्रदेश के 12 वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवक/युवतियों प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। पाठ्यक्रम प्रारंभ किये जाने के पूर्व सभी प्रमुख अखबारों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

मध्यप्रदेश के 12 वीं उत्तीर्ण अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति समुदाय के युवक/युवती प्रशिक्षण लेने हेतु पात्र हैं।

72 आरक्षित वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री प्रदाय

➤ **योजना से सम्बंधित जानकारीः–**

इस योजना के तहत आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) के छात्र–छात्राओं को स्टेशनरी ड्राइंग मटेरियल दिये जाते हैं।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधिः–**

आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति) के छात्र–छात्राओं को स्टेशनरी, ड्राइंग मटेरियल, केलकुलटर आदि पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि के लिये दिये जाते है।

➤ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

संस्था एवं महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में दाखिला लिया हो।

73. उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण प्रोत्साहन योजना

➤ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा संचालनालय तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत संचालित शासकीय/ शासन से अनुदान प्राप्त पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं को डिग्री एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम पूर्ण करने के लिये यह योजना प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत विभिन्न अवधि के पाठ्यक्रमों में छात्र/छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं छात्रावास, मेस, स्टेशनरी, ड्राइंग मटेरियल, यूनिफार्म आदि निःशुल्क प्रदाय किया जावेगा तथा प्रशिक्षण के दौरान स्टाईपेंड भी दिया जाता है।

- जांच उपरांत दस्तावेज सही पाये जाने पर नियमानुसार पेंशन प्रकरण स्वीकृत किया जायेगा।
- पेंशन स्वीकृत होने पर जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय द्वारा उक्त माह में पेंशन प्रपोजल में हितग्राही का नाम जोड़ा जायेगा व स्वीकृत आदेश रिकार्ड में संधारित किया जावेगा।

योजना का उद्देश्य यह है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं को प्रशिक्षित कर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावास, भोजन, स्टेशनरी–प्रशिक्षण सामग्री प्रदान की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- केवल अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं को ही प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होती है।
- योग्यता इंजीनियरिंग के वांछित ब्रांच में किसी भी शासकीय संस्था से डिग्री अथवा डिप्लोमा उत्तीर्ण होना चाहिए।

74. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (ITI) में प्रवेश

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

प्रत्येक वर्ष माह मई में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में एक एवं दो वर्षीय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विज्ञापन जारी किया जाता है। प्रवेश की कार्यवाही माह जुलाई–अगस्त में की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

प्रवेश के समय संबंधित प्रशिक्षणार्थी को संस्था प्रमुख को निर्धारित आवेदन पत्र आवेदन प्रस्तुत करना होगा। जानकारी प्रत्येक संस्था में उपलब्ध होती है तथा समग्र रूप से जानकारी संचालनालय की वेब साईट www.mpdt.nic.in पर उपलब्ध होती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिये न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित है। प्रवेश मेरिट के आधार पर दिया जाता है। शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण का पालन किया जाता है।

75. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश Modular Employable Skills योजना (आई.टी.आई.)

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

इस योजना के अंतर्गत विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में 90 घंटें से 330 घंटे की अवधि के अल्पकालीन प्रशिक्षण संबंधित संस्थाओं में संचालित किये जाते हैं। सामान्यतः योजना प्रत्येक तीन माह में प्रारंभ की जाती है। इस हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

संचालनालय द्वारा आयुक्त जन संपर्क के माध्यम से विज्ञापन जारी कराया जाता है।

- इस योजना में छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।

प्रशिक्षण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है:–

- 120 घंटे 180 घंटे की अवधि के लिये रूपये 1000/–।
- 180 घंटे से 270 घंटे की अवधि के लिये रूपये 1500/– रूपये निर्धारित है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- व्यवसायवार शैक्षणिक योग्यता 5वीं से 12वीं है।
- चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है।
- न्यूनतम आयु सीमा 14 वर्ष निर्धारित है।

76. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में मैरिट छात्रवृत्ति

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेशित सीटों के 4 प्रतिशत प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 125/– प्रतिमाह की मेरिट छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

संस्था में प्रवेश होने के उपरांत संस्था स्तर पर तीन–चार माह बाद एक परीक्षा आयोजित की जाती है जिसके आधार पर छात्रों की सूची निर्धारित की जाती है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

संस्था स्तर पर आयोजित परीक्षा में मेरिट स्थान प्राप्त करने पर उक्त योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है।

77. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आई.टी.आई.) में सामान्य निर्धन वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति योजना

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

सामान्य निर्धन वर्ग के प्रशिक्षणार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शासन द्वारा स्वीकृत इस योजना के तहत पात्र प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 100/– प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

प्रवेश के उपरांत संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को निर्धारित आवेदन पत्र संस्था प्रमुख को प्रस्तुत करना होगा। इस हेतु संस्था स्तर पर प्राप्त आवेदनों का परीक्षण एक समिति द्वारा किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- परिवार की वार्षिक आय 75,000 / – से अधिक न हो।
- परिवार के स्वामित्व में 10 एकड़ से अधिक भूमि न हो।
- अर्हकारी परीक्षा न्यूंनतम 80 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण की हो तथा उम्र 16 से 40 वर्ष के बीच हो।

78. ग्रामीण इंजीनियर योजना (आई.टी.आई.)

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

इस योजना के अंतर्गत 57 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में तीन व्यवसायों (प्लम्बर, मेसन, इलेक्ट्रीशियन) में 110 दिवस का प्रशिक्षण संचालित किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को राशि रूपये 500 / – प्रति 30 कार्यदिवस के लिये प्रदान की जाती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

आवेदकों का चयन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के माध्यम से किया जाता है। चयन प्रक्रिया निम्नानुसार हैः–

- आवेदक ग्राम सभा को आवेदन करेगा।
- ग्राम पंचायत के सरपंच एवं सचिव द्वारा सूची मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकासखण्ड को भेजेंगे।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

शैक्षणिक योग्यता :–

अनारक्षित श्रेणी के लिए 12वीं अनुसूचित जाति / जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 12वीं के व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जायेगी। अपर्याप्त संख्या में हितग्राही की स्थिति में 10वीं उत्तीर्ण हितग्राही को अवसर दिया जा सकता है।

79. रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक प्रशिक्षण योजना (आई.टी.आई.)

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी:–**

इस योजना के अंतर्गत निर्धारित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में विभिन्न व्यवसायों में छः माह का अल्पकालीन प्रशिक्षण संचालित किया जाता है।

- सामान्यतः योजना माह अप्रैल एवं अक्टूबर में प्रारंभ की जाती है।
- इस हेतु विज्ञापन प्रसारित किया जाता है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधिः–**

संचालनालय द्वारा आयुक्त जन संपर्क के माध्यम से विज्ञापन जारी कराया जाता है।

- प्रवेश लेने पर संबंधित प्रशिक्षणार्थियों को राशि रूपये 350 / –संस्था में जमा करना होता है।
- इस योजना में छात्रवृत्ति का प्रावधान नहीं है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

शैक्षणिक योग्यता व्यवसायवार क्रमशः 8वीं, 10वीं तथा 12वीं रखी गयी है। उक्त योजना का चयन मेरिट के आधार पर किया जाता है। इस हेतु आवेदन को संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में आवेदन देना होता है। आरक्षण का लाभ नियमानुसार प्रशिक्षणार्थियों को दिया जाता है।

80. मैरिट योग्यता छात्रवृत्ति

➢ **योजना से सम्बंधित जानकारी :–**

राज्यों के इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है। इस योजना के अंतर्गत इंजीनियरिंग महाविद्यालयों के छात्रों को प्रतिमाह रूपये 125 / – पोस्ट डिप्लोमा छात्रों को प्रतिमाह रूपये 120 / – तथा डिप्लोमा छात्रों को प्रतिमाह रूपये 75 / – उनके अध्ययनकाल क्रमशः 4 वर्ष या 5 वर्ष तथा 3 वर्ष की अवधि के लिए छात्रवृत्ति देय होती है।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया विधि :–**

- प्रथम वर्ष इंजीनियरिंग प्रथम 37 छात्रों को मेरिट के आधार पर।
- प्रथम वर्ष पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के 37 छात्रों को एवं 166 छात्राओं को मेरिट के आधार पर।
- द्वितीय वर्ष बी.ई. में लेटरल ऐंट्री के प्रथम 125 छात्रों को मेरिट के आधार पर।

➢ **योजना का लाभ प्राप्त करने की शर्तें:–**

- इंजीनियरिंग महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों की 12वीं की मेरिट के आधार पर।
- पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को 10वीं की मेरिट के आधार पर।

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की योजनाएँ

81. सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

अनुसूचित जाति के ऐसे आवेदक जो संघ लोक सेवा आयोग / म.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न स्तरों पर सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को निम्नानुसार धनराशि दी जाती हैः– परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 40,000 / – रूपये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 60,000 / – रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 50,000 / – रूपये दिए जाते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग प्रारंभिक उत्तीर्ण पर 20,000 / – रूपये मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 / – रूपये तथा साक्षात्कार में चयनित होने पर 25,000 / – रूपये दिए जाते हैं।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधिः–**

राज्य स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र तथा परीक्षा में सफल होने का प्रमाण पत्र, निर्धारित जाति, आय एवं मूल निवासी प्रमाण पत्र तथा आवेदन जिला कलेक्टर, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक, आदिम जाति कल्याण विभाग में दिया जा सकता है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

समस्त स्त्रोतों से आय सीमा रूपये 1.20 लाख से अधिक न होने पर इस योजना का लाभ देय होता है।

82. डॉ. भीमराव अंबेडकर मेधावी विद्यार्थी पुरस्कार योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र–छात्राओं को डॉ. भीमराव अम्बेडकर मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।

योजनान्तर्गत कक्षा 10वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को 20,000 / – प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा को रूपये 15,000 / –एवं प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा को रूपये 10,000 / – की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50–50 बालक–बालिकाओं को रूपये 1,000 / – प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते हैं।

- 12वीं में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले एक छात्र एवं एक छात्रा को रूपये 30,000 / – की राशि प्रदान की जाती है।
- प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा को रूपये 20,000 / – की राशि प्रदान की जाती है।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

- प्रदेश में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र–छात्रा को रूपये 10,000 / – की राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा राज्य स्तर पर प्रथम 50–50 बालक–बालिकाओं को रूपये 1,000 / – प्रत्येक विद्यार्थी के मान से स्वीकृत किये जाते हैं।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधि :–**

अभ्यर्थी जिस जिले का निवासी है उस जिले के सहायक आयुक्त / जिला संयोजक के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश / सक्षम अधिकारी, जिला कलेक्टर/सहायक आयुक्त आदिवासी विकास / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति विकास मध्यप्रदेश भोपाल। आवेदन, निःशुल्क है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

- कक्षा 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति के बालक–बालिकाओं को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने पर।
- इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर प्रथम 50–50 बालक–बालिकाओं को लाभान्वित किया जाता।

83. दिल्ली में उच्च शिक्षा हेतु छात्रावास सुविधा

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

दिल्ली स्थित संस्थाओं में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले मध्यप्रदेश के विद्यार्थियों को आवासीय सुविधा हेतु प्रतिमाह राशि 1,000 / – रूपये मासिक किराया, 500 / – रूपये छात्रवृत्ति, 100 / – रूपये पानी एवं विद्युत व्यय तथा 2,000 / – रूपये का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया / विधिः–**

इच्छुक आवेदकों को आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन नई दिल्ली में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। सक्षम अधिकारी, जिला कलेक्टर / सहायक आयुक्त आदिवासी विकास / जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण एवं संस्था प्राचार्य। आवेदन शुल्क, निःशुल्क है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

दिल्ली स्थित उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेशित मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति के अधिकतम 50 विद्यार्थी पात्रताधारी होंगे।

जनजातीय कार्य विभाग की विभागीय योजनाएँ

84. छात्रवृत्ति योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

प्रदेश के अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थीयों को शिक्षा में प्रोत्साहन हेतु छात्रवृत्ति प्रदाय की जाती है, जिससे इस वर्ग के विद्यार्थी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

विद्यार्थी विभागीय वेबसाईट www.tribal.mp.gov.in से ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

यह छात्रवृत्ति कक्षा 11वीं, 12वीं, महाविद्यालयों, पी.एच.डी. एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रदाय की जाती है।

- आवेदक म.प्र. का मूलनिवासी हो।
- शासकीय एवं शासकीय स्ववित्तपोषीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया है और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था की गई है। विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्रवृत्ति की पात्रता होती है।
- अशासकीय संस्थानों में अध्ययनरत इस वर्ग के विद्यार्थियों के माता–पिता जिनकी वार्षिक आय 6 लाख तक है, उन्हें पात्रतानुसार प्रवेश एवं फीस नियामक समिति एवं निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग द्वारा निर्धारित की गई वास्तविक शैक्षणिक शुल्क का भुगतान विद्यार्थी के खाते में किया जाता हैं।

85. आवास सहायता योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

विभाग द्वारा जनजातीय बालक एवं बालिकाओं को अपने घर से बाहर महाविद्यालयीन एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए आवास सहायता योजना संचालित की गई है। महाविद्यालयीन शिक्षा हेतु छात्रावास उपलब्ध नहीं होते हैं तो छात्र–छात्राएँ किराये का आवास प्राप्त करते हैं तो ऐसी स्थिति में शासन एक नियमित सीमा तक आवास किराये की प्रतिपूर्ति करता है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

विद्यार्थी द्वारा पाठ्यक्रम में प्रवेश की अंतिम तिथि पश्चात छात्रवृत्ति पोर्टल 2.0/ऑनलाईन ट्रायबल पोर्टल www.tribal.mp.gov.in पर इस योजना के अंतर्गत ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

- ऑनलाईन आवेदन करते समय पूर्व कक्षा उत्तीर्ण की अंकसूची, शपथ–पत्र एवं मकान मालिक का सहमति पत्र/किरायानामा एवं बैंक अकाउंट नंबर अपलोड करेंगे।

86. कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना (कक्षा 11वीं)

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं की शिक्षा के प्रति रूचि बढ़ाने के साथ–साथ अधिक से अधिक आगामी कक्षाओं में शिक्षा प्राप्त करवाये जाने हेतु कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना संचालित है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम संकल्प 37 के अंतर्गत समेकित छात्रवृत्ति योजना के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समग्र पोर्टल के माध्यम से किया जा रहा है।

87. अनुसूचित जनजाति बालिकाओं हेतु साईकिल प्रदाय योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारीः–**

ऐसी बालिकाओं, जिन्हें स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 9वीं में सायकल प्रदाय नहीं की गई है एवं जो कक्षा 11वीं में अध्ययन के लिए 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर आती है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को सायकल प्रदाय किये जाने हेतु आय सीमा का बंधन नहीं है।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया/विधिः–**

विद्यालय के प्राचार्य कक्षा 11वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं से आवेदन प्राप्त कर कक्षा 9वीं में अध्ययरत शाला से सायकल हेतु राशि प्राप्त ना होने का प्रमाणीकरण के साथ आवेदनों को सूचीबद्ध कर जिला अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। जिला अधिकारी बालिकाओं की संख्या के आधार पर आवंटन संबंधित प्राचार्य को उपलब्ध करायेंगे।

➢ **योजनाओं का लाभ प्राप्त करने की शर्तेः–**

बालिका द्वारा आवेदन विद्यालय के प्राचार्य को देना होगा।

विविध योजनाएँ

88. निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना

➢ **योजनाओं से संबंधित जानकारी :–**

रैन बसेरा भवन का नाम निर्माण श्रमिक रात्रि विश्राम गृह होगा। रैन बसेरों में रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिक को प्राथमिकता दी जाएगी। निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित सदस्य द्ववारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा।

➢ **योजना का उद्देश्य :–**

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिये प्रभावशील कल्याण योजनाओं का तत्परता से लाभ दिलाने तथा निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदाय करने हेतु।

➢ **पात्रता :–**

- हिताधिकारी के रूप में पंजीकृत निर्माण श्रमिक
- आवेदन के समय पंजीयन का नवीनीकरण/वार्षिक अभिदाय जमा होना चाहिये।
- रैन बसेरों में रात्रि विश्राम हेतु निर्माण श्रमिक को प्राथमिकता दी जाएगी।
- निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा।
- नगरीय निकाय द्वारा रैन बसेरों के उपयोग के संबंध में संधारित रिकॉर्ड में निर्माण श्रमिक का नाम, पता, एवं पंजीयन क्रमांक अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
- रैन बसेरों में विश्राम करने वाले निर्माण श्रमिकों की मासिक जानकारी नगरीय निकाय द्वारा जिलास्तरीय श्रम अधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध करायी जाएगी।

➢ **लाभ :–**

निर्माण श्रमिक व उनके आश्रित सदस्य द्वारा एक बार में अधिकतम 7 दिवस तक तथा एक माह में अधिकतम 15 दिवस हेतु रैन बसेरे का उपयोग रात्रि विश्राम हेतु किया जा सकेगा।

➢ **प्रक्रिया :–**

रैन बसेरे हेतु स्थल का चयन तथा रैन बसेरे कि क्षमता के निर्धारण हेतु निम्नानुसार समिति होगीः–

- जिलाध्यक्ष
- नगर निगम आयुक्त/मुख्य नगरपालिका अधिकारी
- संबंधित जिले का श्रम अधिकारी
- क्षमता का निर्धारण स्थान की आवश्यकता के अनुसार किया जाएगा, रैन बसेरे की आवश्यकता व क्षमता के निर्धारण के पूर्व उक्त समिति द्वारा यह देखा जाएगा कि प्रश्नाधीन नगर में पूर्व से कोई रैन बसेरा संचालित है या नहीं यदि पूर्व से संचालित है तो उसकी क्षमता का प्रतिशत कितना है? और क्या उसका संचालन सुचारू रूप से हो रहा है?
- रैन बसेरों का निर्माण, रखरखाव व संचालन संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा।

- रैन बसेरों में महिला एवं पुरूषों के लिए पृथक–पृथक डोरमेट्री पृथक–पृथक स्नानागार व शौचालय की व्यवस्था होगी। इसके अतिरिक्त रैन बसेरा के स्टाफ हेतु एक कमरा होगा।
- संबंधित नगरीय निकाय से उक्त समिति की अनुशंसा सहित प्रस्ताव मंडल में प्राप्त होने पर मंडल द्वारा रैन बसेरे की कुल लागत की 100 प्रतिशत राशि दो किश्तों में अनाव्रती व्यय ग्रांट के रूप में दी जाएगी। उपरोक्त राशि का व्यय भवन निर्माण, भवन सुसज्जा, फर्नीचर, अलमारी, पलंग, बिस्तर रजाई, गद्दे चादर आदि व लॉकर आदि हेतु किया जाएगा।

व्यय की राशि मंडल द्वारा निम्न सीमा में देय होगी।

- चार महानगरों (भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, एवं जबलपुर हेतु) – 25 लाख
- अन्य नगर निगमों हेतु – 20 लाख
- नगरपालिकाओं हेतु – 15 लाख
- नगर पंचायतों हेतु – 10 लाख

89. मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

इस योजना की शुरूआत उन सभी परिवार वालों के लिए की गई है जिन्होंने अपने इकलौते आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को मृत्यु होने के कारण खोया है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत यदि किसी परिवार ने आय अर्जित करने वाले को खोया है तो उसे वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। ताकि वह इस वित्तीय सहायता का उपयोग कर भरण पोषण आसानी से कर सकें एवं उसे किसी प्रकार की आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। मध्यप्रदेश राज्य में मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का कार्यान्वयन शासन समाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण के द्वारा किया जा रहा है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। अब राज्य के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को अपने खर्चे के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ना केवल मध्यप्रदेश बल्कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का लाभ देश के विभिन्न राज्यों में पीड़ित परिवारों को प्रदान किया जा रहा है।

➢ **लाभ :–**

- इस योजना का लाभ मध्यप्रदेश के गरीब परिवारों को प्रदान किया जाएगा जो बी.पी.एल. श्रेणी से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं।
- सरकार द्वारा राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाएगी।
- यह आर्थिक सहायता गरीब परिवार को तब मुहैया कराई जाएगी जब परिवार में आय अर्जित करने वाले व्यक्ति की मृत्यु हुई हो।
- सरकार द्वारा इस योजना के तहत गरीब परिवारों को इकलौता आय अर्जित करने वाले व्यक्ति को खोने पर 20,000/– रुपये से लेकर 40,000/– रुपये तक वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

- पहले इस योजना के तहत मृतक व्यक्ति के परिवार वालों को केवल 10,000/– रुपये ही मुहैया कराए जाते थे, जिसे बढ़ाकर 20,000/– रुपये कर दिया गया है।
- यह धनराशि पीड़ित परिवार में महिला या पुरुष दोनों में से किसी भी कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर प्रदान की जाएगी।
- मिलने वाली धनराशि सीधा परिवार वालों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
- व्यक्ति की मृत्यु होने के 45 दिन के भीतर ही पीड़ित परिवार को यह धनराशि अकाउंट में हस्तांतरित की जाएगी।
- मध्यप्रदेश राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के माध्यम से राज्य के परिवार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सकेंगे एवं अपना जीवन यापन कर सकेंगे।
- मृतक व्यक्ति के परिवार को अब अपना भरण–पोषण करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा।
- यदि आप भी इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द इस योजना के तहत आवेदन करना होगा।

➢ **योजना के तहत पात्रता** :–

- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- उम्मीदवार की आयु 16 वर्ष से 60 वर्ष के भीतर ही होनी चाहिए।
- आवेदक बी.पी.एल. श्रेणी से संबंधित होना चाहिए।
- उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा हो।
- ग्रामीण क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 46,000/– रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- शहरी क्षेत्र के पीड़ित परिवार की वार्षिक आय 56,000/– रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- इस योजना के तहत मृतक परिवार की मृत्यु के 30 दिन के भीतर ही आवेदन करना होगा।

➢ **राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज**:–

इस योजना के तहत महत्वपूर्ण दस्तावेज कुछ इस प्रकार हैं:–

- आधार कार्ड
- बी.पी.एल. सर्टिफिकेट
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- वोटर आई.डी. कार्ड

- आयु प्रमाण पत्र
- मृतक व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना में कोई मृत्यु से संबंधित FIR
- परिवार रजिस्टर की नकल
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर

90. गृह ज्योति योजना

इस योजना की शुरुआत मध्यप्रदेश सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को कम दाम पर बिजली मुहैया कराई जाएगी। इस योजना के तहत अब राज्य के नागरिकों को केवल 100 यूनिट बिजली खर्च करने पर मात्र 100/– रूपए ही देने होंगे। यानी की अगर कोई परिवार एक महीने में सौ यूनिट तक की बिजली का इस्तेमाल करके अपने घरेलू कामकाजों में करता है। गृह ज्योति योजना में अब तक प्रदेश के 98 लाख घरेलू बिजली में नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी में सरकार कटौती कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा नागरिकों को करीब 5000 करोड़ की सब्सिडी का लाभ मुहैया कराया जाएगा। इस योजना के माध्यम से नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। गृह ज्योति योजना के माध्यम से प्रदेश के 98 लाख घरेलू बिजली में नागरिकों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से मध्यप्रदेश के गरीब नागरिकों को बिजली में काफी लाभ प्रदान होगा। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लोगों को करीब 5000 की सब्सिडी का लाभ होगा।

91. मध्यप्रदेश समाधान योजना

➢ **योजना का उद्देश्य** :–

जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएँ चलाई जा रही हैं जिससे कि हमारे भारत के नागरिकों की हर समस्या का समाधान किया जा सके इसी प्रकार मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा मध्यप्रदेश समाधान योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के माध्यम से राज्य में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की समस्या का समाधान सरकार द्वारा निकाला जाएगा। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से राज्य के लोगों का विद्युत बिल भी माफ कर दिया जाएगा। लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं, यदि ऑनलाइन दर्ज नहीं कर सकते तो वह अपनी समस्या को डाक के जरिए भी जमा कर सकते हैं। यह योजना मध्यप्रदेश द्वारा देश के नागरिकों के विकास के लिए शुरू की गई है।

मध्यप्रदेश समाधान योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य यह है कि प्रार्थी के प्रत्येक नागरिक की हर समस्या को दूर किया जा सके। सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से राज्य के नागरिक आत्मनिर्भर बनें, उनका विकास भी होगा।

➢ **योजना के कुछ दिशा–निर्देश :–**

इस योजना के दिशा निर्देश कुछ इस प्रकार हैः–

- सूचना का अधिकार से संबंधित मामले।
- माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण।
- आर्थिक सहायता या नौकरी दिए जाने की मांग।
- मेरे द्वारा दर्ज की जाने वाली शिकायत मेरे पूर्ण संज्ञान में है, और असत्य नहीं है।
- दर्ज की जाने वाली शिकायत के संबंध में पूरी तरह में जिम्मेदार हूँ।

➢ **योजना के लाभ :–**

- इस योजना को मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा शुरू किया गया है।
- राज्य के नागरिक इस पोर्टल के अंतर्गत अपनी हर समस्या को दर्ज कर सकते हैं।
- राज्य के जो लोग अपनी शिकायत दर्ज करना चाहते है तो उन्हें मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश समाधान योजना पर जाकर अपनी शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा।
- मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आरंभ किया गया एमपी शिकायत पोर्टल पर आप केवल हिंदी, अंग्रेजी या फिर स्थानीय भाषा के प्रयोग के अलावा अन्य भाषाओं में भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- इस ऑनलाइन सुविधा के जरिये मध्यप्रदेश के सभी नागरिकों की शिकायतों का समाधान जल्द और समय पर किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश समाधान योजना का लाभ राज्य के सभी नागरिक उठा सकते हैं।
- सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के माध्यम से लोगों के समय की बचत होगी और उन्हें कही जाना नहीं पड़ेगा।
- इस योजना के माध्यम से लोग घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर आसानी से अपनी शिकयत दर्ज करवा सकते हैं।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत शिकायतों का निराकरण तय समय के अनुसार होगा।
- इस योजना के अंतर्गत अन्य भाषाओं में उत्तराखंड की गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी आदि जैसी भाषाएँ शामिल हैं।

➢ **योजना की पात्रता :–**

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगा :–

- इच्छुक लाभार्थी को भारत का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
- सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों के अनुसार ही आपको इस योजना का लाभ मिलेगा।
- इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए लाभार्थी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- इस योजना के अंतर्गत केवल मध्यप्रदेश के नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।

➢ **योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज हैं :–**

- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक अकाउंट डिटेल्स

92. मेघदूत योजना

➢ **योजना का उद्देश्य :–**

मध्यप्रदेश की सरकार द्वारा मेघदूत योजना को शुरू किया गया है ताकि वह व्यक्ति जो कि किसी सड़क हादसे में घायल हो गया हो उसको मदद मिल सके और उसका उपचार समय पर हो सके जिससे कि उसका अनमोल जीवन सुरक्षित रहें।

इस योजना को शुरू करने से व्यक्तियों में मदद करने की इच्छा बढ़ेगी और भाईचारा भी बढ़ेगा।

मध्यप्रदेश मेघदूत योजना के कारण जो लोग सड़क हादसे में घायल हुए व्यक्ति से पीछे भागते थे वह भी उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ेंगे। सरकार द्वारा मदद करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित कर के उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा। इस योजना को सरकार द्वारा घायल व्यक्तियों की मदद के उद्देश्य से शुरू किया गया है। यदि सड़क हादसे में कोई घायल हो जाता है तो उसकी मदद करने वाला कोई नहीं होता। आसपास के लोग भी उसे देखकर नजरअंदाज कर देते हैं। इसी कारण सरकार द्वारा यह योजना शुरू की गई है ताकि इस योजना के अंतर्गत लोगों को पुरस्कार देकर एवं सम्मानित करके उन में मदद की भावना को जागरुक किया जा सके। मेघदूत योजना के अंतर्गत पुरस्कार के रूप में 5 हजार रुपये प्रदान किए जाएँगे। पुरस्कार मिलने के कारण लोगों में दूसरों की मदद करने की इच्छा जागेगी कि यदि अगर हम मदद करेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार के

साथ–साथ प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे सिद्ध होगा कि इस व्यक्ति ने साहसिक कदम उठाकर एक घायल व्यक्ति की मदद की और उसको अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई। इस योजना का उद्देश्य घायलों की त्वरित सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। सहयोग करने वाले को यह योजना कानूनी सुरक्षा देगी, जिससे कि उनको अपनी जान का खतरा भी नहीं होगा एवं बिना किसी डर के किसी घायल व्यक्ति की मदद करके उसकी जान बचा सकेंगे।

➢ **योजना के लाभ :–**

- मेघदूत योजना के तहत सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल ले जाने वालों को सम्मानित किया जाएगा।
- सरकार द्वारा इस योजना को शुरू करने का मुख्य लक्ष्य घायलों की त्वरित सहायता के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है।
- इस योजना के अंतर्गत जो व्यक्ति घायल लोगों की सहायता करता है उनको पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।
- यह पुरस्कार सरकार द्वारा आर्थिक रूप में प्रदान किया जाएगा।
- मेघदूत योजना मध्यप्रदेश के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया जाएगा उसकी राशि 5 हजार रुपये होगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार के साथ–साथ लाभार्थी को प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से सड़क हादसे के दौरान घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने की भावना को लोगों के अंदर जागरूक किया जाएगा।
- जो लाभार्थी से योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं उनको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अवश्य जाना चाहिए।
- इस योजना की मदद से सड़क हादसे में होने वाली मौतों की दर में भी कमी आएगी।
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से लोगों को सम्मानित कर उनमें मदद करने की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

➢ **योजना की पात्रता :–**

वह सभी व्यक्ति को इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो उन्हें नीचे दिए गए पात्रता मानदंड को पूरा करना होगाः–

- लाभार्थी मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।

म.प्र. शासन की जनकल्याणकारी योजनाएं

- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों पर योजना का लाभ दिया।

➢ **योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु मुख्य दस्तावेज :–**

- आधार कार्ड
- लाभार्थी मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता हो।
- योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु लाभार्थी को भारत का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
- सरकार द्वारा तय किए गए मापदंडों पर योजना का लाभ दिया।
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो

93. मंदबुद्धि / बहुविकलांग को आर्थिक सहायता योजना

6 वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिये सहायता अनुदान योजना के अंतर्गत दिव्यांग व्यक्ति के परिवार को प्रतिमाह 600/– रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

➢ **<u>योजना के अंतर्गत पात्रता :–</u>**

- आवेदक मध्यप्रदेश का निवासी होना आवश्यक है।
- लाभार्थी को निःशक्तता जिसके अंतर्गत जैसे बहुविकलांग, मानसिक रूप से अविकसित, ऑटिज्म ग्रसित, सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित होना चाहिए।

____***____

हमारा दृष्टिकोण

समाज के हाशिये पर रहने वाले लोगों के समावेशी और समग्र विकास के लिए एक प्रणाली का निर्माण करना और सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करना।

हमारा लक्ष्य

कानूनी जागरूकता, समुचित प्रतिनिधित्व और साक्षरता के माध्यम से समाज के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण करना और जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुँचाना।